राजीव आवास योजना

स्लम मुक्त नगर योजना के लिये मार्गनिर्देश

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

1. राजीव आवास योजना : उद्देश्य

स्लमवासियों तथा शहरी गरीबों के लिये राजीव आवास योजना (आरएवाई) का उद्देश्य निश्चित तरीके से स्लमों की समस्याओं को हल करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करके 'स्लम मुक्त भारत' की स्थापना करना है। इसमें निम्नलिखित पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है :

- मौजूदा स्लेमों को औपचारिक व्यवस्था के भीतर लाना और उन्हें इस काबिल बनाना कि वे शेष नगर की तरह ही मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठा सकें;
- औपचारिक व्यवस्था की उन असफलताओं को दूर करना जो स्लमों के निर्माण का कारण बनी हैं; और
- शहरी भूमि और आवास की कमी की समस्याओं को हल करना जिनके कारण आवास शहरी गरीबों की पहुंच से बाहर हुए हैं और जीविकापार्जन तथा रोजगार के अपने संसाधनों को बनाए रखने के उद्देश्य से वे विधितर उपायों का सहारा लेने के लिये मजबूर हुए हैं।

ऐसे प्रमुख नीतिगत मसलों की रूपरेखा अनुबंध–। में दी गई है जिन्हें राजीव आवास योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुलझाना है।

2 केन्द्रीय सहायता : पूर्व शर्तें

2.1 जैसा कि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में व्यवस्था है, राजीव आवास योजना के लक्ष्य भी केन्द्रीय सहायता के प्रावधान से संचालित और प्रेरित होंगे तथा उनका उद्देश्य शहरी विकास को समावेशी बनाने के लिये आवश्यक सुधारों की शर्त के साथ स्लमों का पुनः विकास करना तथा किफायती मकानों का निर्माण करना है। अनुबंध–।। में राजीव आवास योजना के अधीन इस समय परिकल्पित स्वीकार्य तथा अस्वीकार्य घटकों का उल्लेख है।

2.2 राजीव आवास योजना के अंतर्गत जहां तक सुधारों का संबंध है समावेशी नगरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिये हकदारी के जरिये टेन्योर की सुरक्षा महत्वपूर्ण होगी। तदनुसार राजीव आवास योजना के अधीन केन्द्रीय सहायता इस शर्त पर दी जाएगी कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्लम वासियों को उनके रिहायशी क्षेत्र पर कानूनी हक दें। अन्य सुधारों में जेएनएनयूआरएम के तीन निर्धन हितैशी सुधारों को बनाए रखना तब तक शामिल है जब तक वे व्यवस्था का हिस्सा नहीं बन जाते। ये सुधार इस प्रकार हैं – सभी स्लम वासियो को सम्पत्ति का अधिकार देने संबंधी कानून; शहरी आवास के संबंध में किरायेदारी/किराया नियंत्रण कानूनों से संबंधित सुधार; तथा शहरी आयोजना और विकास ढांचों के अधिशासन से संबंधित कानून, नियम और विनियम ताकि मांगों, प्रक्रियाओं और शहरीकरण के संबंध में पर्याप्त व्यवस्था हो सके। जेएनएनयूआरएम के अधीन इन तीन निर्धन हितैशी सुधारों को नीचे दोहराया जा रहा है :

i) शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने हेतु स्थानीय निकायों के बजटों में आंतरिक अभिनिर्धारण;

ii) शहरी गरीबों के लिये बुनियादी सेवाएं मुहैया कराना जिनमें जायज मूल्यों पर टेन्योर की सुरक्षा, बेहतर आवास व्यवस्था, जलापूर्ति, सफाई व्यवस्था भी शामिल है और इसके साथ–साथ शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा सामाजिक सुरक्षा के संबंध में सरकार की सर्वसुलभ मौजूदा अन्य सेवाओं को मुहैया कराना भी शामिल है; और

iii) सभी आवास परियोजनाओं (सरकारी तथा गैर–सरकारी एजेंसियों द्वारा संचालित) में प्रति सहायता व्यवस्था सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय वर्गों के लिये कम से कम 20 से 25 प्रतिशत भूमि अभिनिर्धारित करना।

3. स्लम मुक्त राज्य कार्य योजना (पीओए)

3.1 राजीव आवास योजना में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य 'स्लम मुक्त राज्य कार्य योजना' (पीओए) तैयार करेगा। इस स्लम मुक्त राज्य कार्य योजना की दिशा में स्लमवासियों को सम्पत्ति के अधिकार देने हेतु कानून तैयार करना पहला कदम होगा। स्लम मुक्त राज्य कार्य योजना दो भागों में होनी चाहिए। इस योजना का पहला भाग मौजूदा स्लमों के उन्नयन से संबंधित है और दूसरा भाग नये स्लमों को रोकने से संबंधित है। योजना के पहले भाग में राज्यों को चाहिये कि वे उन चुनिंदा नगरों में स्थित सभी मौजूदा स्लमों का सर्वेक्षण करें और उनका नक्शा बनाएं जिन्हें वे राजीव आवास योजना के अंतर्गत शामिल करना चाहते हैं। दूसरे भाग में यह अपेक्षा है कि आगामी 20 वर्षों को दृष्टिगत रखते हुए नगर की वृद्धि दर का आकलन करना है, तथा संख्याओं के आधार पर भूमि प्राप्त करने के लिये प्रस्तावित कार्यों का उल्लेख करना और किफायती ईडब्ल्यूएस मकानों के निर्माण को बढ़ावा देना है ताकि मांग को पूरा किया जा सके। योजना के इस भाग के लिये कानूनों और प्रशासन में आवश्यक परिवर्तन करने होंगे ताकि शहरी भूमि का विस्तार किया जा सके और नगर योजना विनियमों में परिवर्तन करने होंगे ताकि सभी नये विकासों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास के लिये आरक्षण किये जा सकें। अनुबंध–।।। में स्लम मुक्त राज्य कार्य योजना की प्रमुख रूपरेखा दी गई है।

3.2 स्लम मुक्त राज्य कार्य योजना में राज्य द्वारा अभिनिर्धारित नगर शामिल होंगे तथा वे नगर भी शामिल होंगे जो 5 वर्ष की अवधि में इस योजना में शामिल किये जाने हैं और उनकी फेजिंग भी शामिल होगी। यह योजना सम्पूर्ण नगर दृष्टिकोण के प्रति वचनबद्ध होगी ताकि प्रत्येक चुनिंदा नगर में सभी मौजूदा स्लमों चाहे वे अधिसूचित हों अथवा अधिसूचित नहीं हों, के उन्नयन हेतु एक एकीकृत तथा पूर्ण योजना तैयार की जा सके। नगर के भीतर पुनर्विकास हेतु हाथ में लिये गये प्रत्येक स्लम में निम्नलिखित व्यवस्था की जाएगी – पूर्ण मूलभूत नागरिक अवसंरचना तथा सेवाओं की व्यवस्था, अच्छे मकानों का निर्माण जिसमें योजनाबद्ध नक्शों पर जोर दिया जाएगा (यह कार्य मौजूदा तथा संशोधित भवन निर्माण उप नियमों जहां कहीं लागू हों, के आधार पर भूखण्डों का पुनर्विन्यास करने के बाद किया जाएगा) तथा पूर्ण सफाई व्यवस्था (प्रत्येक परिवार के लिये अलग शौचालय तथा जलापूर्ति की व्यवस्था करके)। जहां तक आवास निर्माण का संबंध है राज्य निम्नलिखित के संबंध में लचीला दृष्टिकोण अपना सकता है – निर्माण का तरीका और निर्माण के लिये निधियों की व्यवस्था, नगरपालिका/राज्य से डिजाइन तथा तकनीकी सहायता के साथ लाभकारी निर्मित आवास मॉडल का पालन करना, अथवा राज्य पैरास्टेटल अथवा निजी भागीदारों के जरिये मकानों का निर्माण करवाना अथवा मिश्रित उपाय करना। स्लम मुक्त राज्य कार्य योजना से यह अपेक्षा है कि वह ऐसे सरकारी–निजी भागीदारी मॉडल को प्राथमिकता दे जो इसे एफएसआई तथा भू–उपयोग रियायतों के जरिये संभव स्तर तक स्लमों का पुनर्विकास करने हेतु प्रति–सहायता की व्यवस्था कर सके। स्लम मुक्त कार्य योजना से यह भी अपेक्षा है कि वह उस मॉडल का उल्लेख करे जिसका प्रत्येक स्लम में पालन किया जाना है, सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करने के लिये प्रयासों का उल्लेख करे और निर्धारित समय–सीमा के साथ सम्पूर्ण विकास हेतु वित्तीय कार्य नीति का उल्लेख करे।

3.3 स्लम मुक्त राज्य कार्य योजना में राजीव आवास योजना के अधीन शामिल किये जाने हेतु नगरों के लिये स्लम मुक्त नगर कार्य योजनाएं शामिल होंगी। राजीव आवास योजना के अधीन शामिल प्रत्येक नगर के लिये नगर कार्य योजना को विकसित किया जाएगा लेकिन नगर के भीतर स्लम उन्नयन की गति को चरणबद्ध किया जा सकता है। चरणबद्ध करने के प्रयोजन से प्रत्येक नगर को जोनों में विभक्त करना होगा और प्रत्येक जोन को समग्र जोन मानना होगा ताकि सर्वसुलभ मूलभूत अवसंरचना और सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें और जोन में सभी स्लमों में अच्छे मकानों का सुनिश्चिय किया जा सके और इस प्रकार स्लम मुक्त उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। नगर व्यापी/जोन आधारित दृष्टिकोण से अस्थाई स्लामों को आसपास उपलब्ध खाली पड़ी जमीन पर स्थानांतरित किया जा सकता है अथवा ऐसे अधिसूचित स्लम में स्थानांतरित किया जा सकता जहां उनके लिये जगह हो।

3.4 राज्यों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे स्लम मुक्त नगर कार्य योजनाओं को केन्द्र के पास स्वीकृति हेतु भेजें और इसके साथ राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत सम्पत्ति अधिकारों की व्यवस्था करने से संबंधित विधेयक भी भेजें और यह भी बताएं कि राज्य की विधान सभा के किस सत्र में राज्य सरकार उसे पेश करेगी। कार्य योजना पर विचार करते हुए केन्द्र विशेष रूप से यह आकलित करेगा कि राज्यों का चयन अधिकतम क्रॉस–सबसीडाइजेशन के लिये किया गया है और सरकारी–निजी भागीदारी के जरिये क्रॉस–सबसीडाइजेशन का पूरी तरह पता लगाया गया है और यह कि सामुदायिक सहभागिता तंत्रों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है तथा उन्हें सक्रिय बनाया गया है।

4. स्लम मुक्त नगर आयोजना : कार्यपद्धति

4.1 संकल्पनात्मक संरचना

नगरपालिका आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाले शहरी स्थानीय निकाय में स्लम मुक्त नगर कक्ष का मुख्य कार्य स्लम मुक्त नगर योजनाएं तैयार करना होगा जिन्हें संबंधित राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के आधार पर और राजीव आवास योजना के लिये राज्य स्तर पर नोडल एजेंसी द्वारा दी गई सहायता से तैयार किया जाएगा। अगले पृष्ठ पर दिये गये डाइग्राम में स्लम मुक्त नगर योजना को तैयार करने के लिये संकल्पनात्मक संरचना दी गई है।

4.2 आयोजना कार्यपद्धति

स्लम मुक्त नगर योजना को तैयार करने के लिये उसमें मुख्य रूप से स्लम पुनर्विकास/पुनर्वास योजनाएं शामिल होंगी जो निम्नलिखित पर आधारित होंगी– (क) सभी अधिसूचित और गैर–अधिसूचित स्लमों का सर्वेक्षण; (ख) आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से स्लमों की मैपिंग; (ग) जियोस्पेटियल तथा सामाजिक–आर्थिक आंकड़े; तथा (घ) प्रत्येक स्लम के लिये प्रस्तावित विकास मॉडल की पहचान। समुचित मान पर आधारभूत नक्शे स्लम पुनर्विकास योजना/स्लम मुक्त नगर योजना को तैयार करने के लिये पूर्व अपेक्षा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चाहिये कि वे स्लम मुक्त राज्य योजना तैयार करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाएं–

(i) एनआरएससी/इसरो से कार्टोसेट ।। /अद्यतन सैटेलाइट इमेजिज प्राप्त करना और इन इमेजों का उपयोग करते हुए पूरे नगर तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के लिये आधारभूत नक्शे तैयार करना।

(ii) सैटेलाइट इमेज तथा अन्य उपलब्ध आंकड़ों की सहायता से शहरी बस्ती में सभी स्लम क्लस्टरों का पता लगाना/उनकी सूची बनाना।

(iii) शहरी क्षेत्र के प्रत्येक जोन में सभी संभव खाली भूमि की सूची बनाना जिसका उपयोग स्लम पुनर्विकास/पुनर्वास विकास योजना के लिये किया जा सकता हो।

(iv) स्लम विकास योजनाओं और स्लममुक्त नगर योजना बनाने की दिशा में पहले कदम के रूप में नगर के भीतर और उसके आस–पास के क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक स्लम का स्लम मेप तैयार करना। इसके लिए निम्नलिखित के साथ जीआईएस का प्रयोग किया जाएगा – कारटोसेट पप इमेजेज, सम्पूर्ण स्टेशन सर्वेक्षण के जरिए एकत्र भू–स्तरीय स्पेटियल डाटा, भूखण्ड सीमाओं के साथ स्पेटियल सूचना का मिलान, सड़कों, सीवर, वर्षा जल निकासी व्यवस्था तथा जल लाईनों जैसी बुनियादी अवसंरचना व्यवस्था तथा इसे सैटेलाईट इमेज पर सूपरइम्पोज करना और इसे जीआईएस प्लेटफार्म में डालना। इस कार्य को एनआरएससी/इसरो/अन्य तकनीकी संस्थानों/एजेंसियों के तकनीकी भागीदारों की मदद से किया जा सकता है।

(v) प्रमुख एनजीओ/सीबीओ का पता लगाना तथा उनकी नियुक्ति करना। ये एजीओ/सीबीओ नगर के स्लम सर्वेक्षण के प्रयोजन से मार्गनिर्देश देगें तथा समुदाय का समर्थन जुटाएगें (विभिन्न स्लम जोनों में एक से अधिक एनजीओ/सीबीओ हो सकते है)। इन प्रमुख एनजीओ/सीबीओ का सहयोग स्लम स्तरीय पुनर्विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए स्लम सर्वेक्षण कार्यों और वार्ताओं में भी लिया जा सकता है।

(vi) प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण, सर्वेक्षण कार्मिको/प्रचारकों/प्रचार के लिए प्रशिक्षण देने के बाद राष्ट्रीय भवन निर्माण

डायग्राम

स्लम मुक्त नगर योजना बनाने की कार्य पद्धति – संकल्पनात्मक संरचना

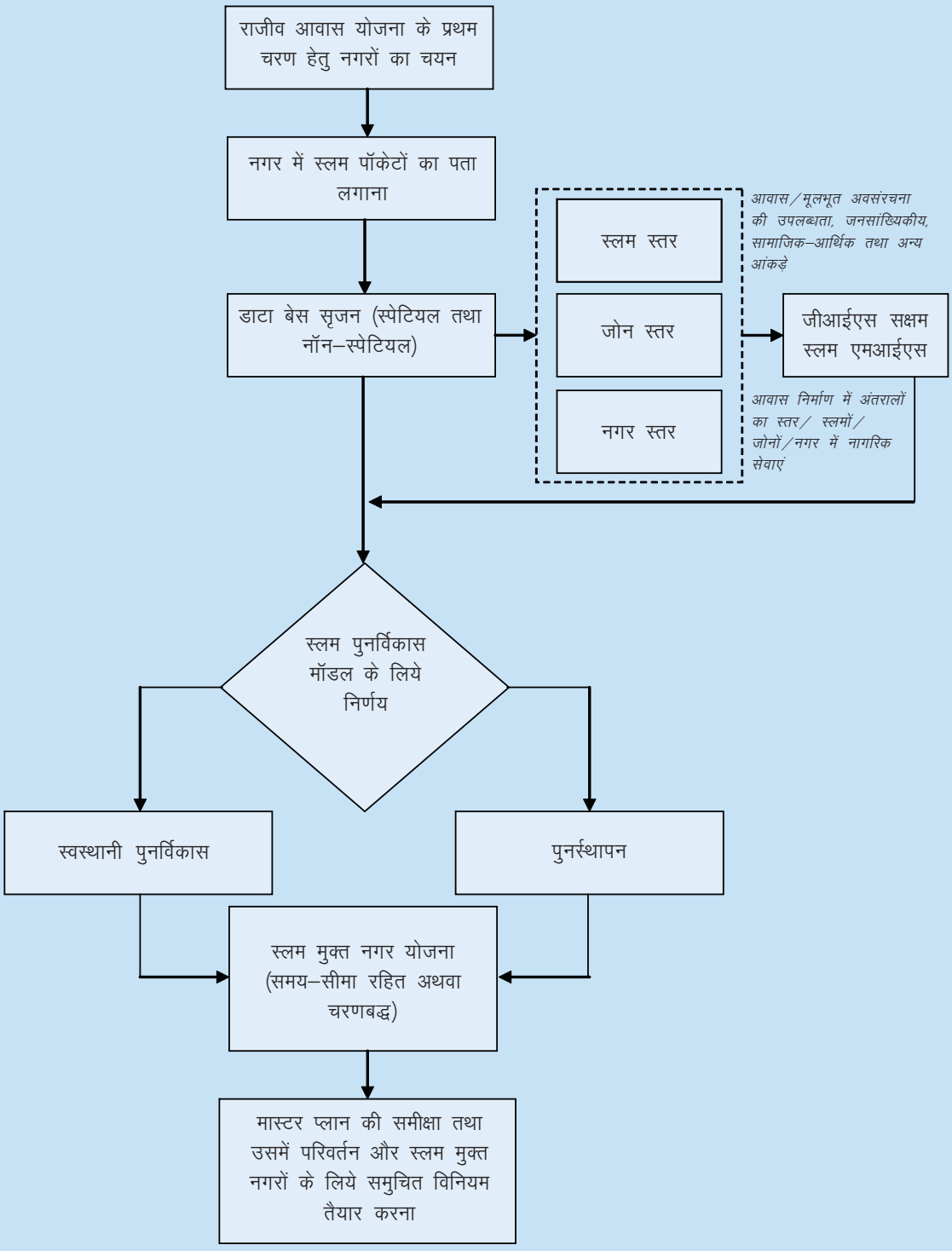

संगठन (एनबीओ) की सहायता से आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा तैयार विस्तृत फार्मेटों (परिवर्तनों सहित अथवा परिर्वतनों के बिना) के आधार पर स्लम सर्वेक्षण करना। समुदाय के समर्थन जुटाने के लिए संबंधित स्लम अथवा निकटवर्ती स्लम पॉकेटों से प्रचारक लेना मददगार होगा ।

(vii) उपर्युक्त सर्वेक्षण के आधार पर स्लमवासियों की बायोमैट्रिक पहचान एकत्र करना (यूनिक आइडेंटिटी अथोरिटी आफ इडिया द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन)

(viii) वेब सक्षम एमआईएस आवेदन (जो आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा) में स्लम सर्वेक्षणों से प्राप्त डाटा की प्रविष्टि करना, डाटा का संकलन और मिलान करना, स्लमवार, नगर तथा राज्य स्लम सर्वेक्षण डाटाबेस और बेसलाईन रिर्पोटें तैयार करना। एमआईएस से संतुलित स्लम तथा स्लम परिवार सूचना पद्वति तैयार करने में मदद मिलेगी। (एमआईएस पद्वति तैयार करने के संबंध में आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश जारी किए जाएगें तथा सॉफ्टवेयर दिया जाएगा)।

(ix) स्लम एमआईएस को जीआईएस मेपों में डालना ताकि जीआईएस सक्षम स्लम सूचना पद्वति तैयार की जा सके और इसका उपयोग सम्पूर्ण नगर/जोन आधारित दृष्टिकोण के साथ सार्थक स्लम विकास योजनाएं तथा स्लममुक्त नगर योजना तैयार करने के लिए किया जाएगा। (जीआईएस प्लेटफार्म तैयार करने और एमआईएस के साथ उसका विलय करने के लिए आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश जारी किए जाएगें और साफ्टवेयर दिया जाएगा)

(x) प्रत्येक स्लम के लिये चुनिंदा स्लम विकास परियोजना को निम्नलिखित मॉडलों पर तय किया जाएगा जैसे पीपीपी विकास, केवल अवसंरचना प्रावधान, राजीव आवास सोसायटियों के जरिये सामुदायिक आधारित विकास आदि। यह आवश्यक है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में समुदाय को भी शामिल करना चाहिए और इसके लिये सामुदायिक समर्थन जुटाना होगा तथा मॉडल तय करने के लिये समुदाय से बात करनी होगी। प्रत्येक स्लम पुनर्विकास योजना की प्रत्येक गतिविधि हेतु समय–सीमा होनी चाहिए।

(xi) स्लम मुक्त नगर योजना सभी स्लमों के लिये विकास योजनाओं एवं भावी स्लमों को रोकने हेतु बनाई गयी कार्यनीतियों पर आधारित होनी चाहिए। इसमें शहरी गरीबों के लिये भूमि तथा मकानों का आरक्षण भी शामिल होना चाहिए। स्लम मुक्त नगर के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये गतिविधियों की समय–सीमा, प्रत्येक गतिविधि से संबंधित सूचना और वित्तीय अनुमान भी योजना में शामिल होने चाहिए।

उपर्युक्त कार्य को सम्पन्न करने हेतु राज्य तथा नगर शासनों के मार्गदर्शन हेतु जिन कदमों को उठाए जाने की आवश्यकता है उनका उल्लेख अनुबंध IV में विस्तार से किया गया है।

4.3 स्लम मुक्त नगर आयोजना टीम (राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय)

यह सुझाव है कि स्लम मुक्त योजना बनाने के लिये राज्य को सबसे पहले राज्य नोडल एजेंसी स्तर पर तथा प्रत्येक चुनिंदा नगर में एक स्लम मुक्त नगर/तकनीकी सेल की स्थापना करनी होगी। राज्य स्तर पर जेएनएनयूआरएम/आरएवाई का कार्य देखने वाला सचिव स्लम मुक्त नगर/तकनीकी सेल का अध्यक्ष होगा और राज्य नोडल अधिकारी द्वारा आरएवाई का समन्वय किया जाएगा। इस सेल की संरचना राज्य सरकार द्वारा तय की जाएगी। नगर स्तर पर नगरपालिका आयुक्त अथवा शहरी स्थानीय निकाय का कार्यकारी अधिकारी स्लम मुक्त नगर सेल का अध्यक्ष होगा और उसकी सहायता अतिरिक्त/उप–आयुक्त/स्लम/शहरी समुदाय विकास/आयोजना का प्रभारी अधिकारी करेगा। इस सेल में नगरपालिका के सभी विभागों के प्रमुख होंगे। आरएवाई में शामिल प्रत्येक नगर को सक्षम स्लम मुक्त नगर आयोजना/तकनीकी दल दिया जाना चाहिए जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी)/भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) तथा अन्य तकनीकी एजेंसियों जैसी विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय का कार्य कर सके।

राजीव आवास योजना/शहरी स्थानीय निकाय (स्लम मुक्त नगर योजना बनाने के लिये चुना गया) के लिये राज्य नोडल एजेंसी स्तर पर तकनीकी सेल में पारदर्शी प्रक्रिया के जरिये चुने गये संविदा के आधार पर निम्नलिखित विशेषज्ञ

होंगे (मासिक पारिश्रमिक अर्हता तथा अनुभव के अनुसार होगा लेकिन 75 हजार रू. प्रति माह से अधिक नहीं होगा):

- एमआईएस विशेषज्ञ – 1
- जीआईएस विशेषज्ञ – 1
- नगर नियोजन विशेषज्ञ – 1
- सामाजिक विकास विशेषज्ञ – 1
- परियोजना/इंजीनियरिंग विशेषज्ञ – 1 और
- क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण समन्वयकर्ता – 1.

उपर्युक्त कार्य को सम्पन्न करने हेतु राज्य तथा नगर शासनों के मार्गदर्शन हेतु जिन कदमों को उठाए जाने की आवश्यकता है उनका उल्लेख अनुबंध IV में विस्तार से किया गया है।

5. भारत सरकार की सहायता

स्लम मुक्त नगर योजनाओं को तैयार करने के लिये जिन कार्यों के लिये राज्यों/संघ राज्यों को केन्द्र सहायता देना चाहता है उनमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

5.1 वित्तीय सहायता

- राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एनबीओ) की सहायता से आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा तैयार विस्तृत प्रपत्रों पर आधारित नगरों में स्लम सर्वेक्षण का आयोजन जिनमें प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का आयोजन, नगर/राज्य एमआईएस हेतु सर्वेक्षण भी शामिल है;
- स्लम सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों को एमआईएस डाटा बेस में दर्ज करना तथा नगर स्लम मुक्त कार्ययोजनाओं को तैयार करने में सहायता करने की दृष्टि से एमआईएस में आंकड़ों का संकलन और मिलान;
- जीआईएस के उपयोग से नगर/स्लम आधारित नक्शे तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल है– कार्टोसेट II /अद्यतन इमेजिज/स्पेटियल सम्पूर्ण स्टेशन स्लम सर्वेक्षण की लागत, स्लम एमआईएस को जीआईएस नक्शों में शामिल करना (ताकि जीआईएस सक्षम स्लम सूचना प्रणाली तैयार की जा सके और इसका उपयोग सार्थक स्लम विकास योजनाओं तथा स्लम मुक्त नगर योजनाओं को तैयार करने के लिये किया जा सके)। तकनीकी समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य/शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद;
- प्रत्येक चुनिंदा नगर/शहरी बस्ती के लिये विस्तृत स्लम मुक्त नगर योजनाओं को तैयार करने हेतु परामर्शदाताओं/तकनीकी एजेंसियों/संस्थानों की नियुक्ति;
- प्रमुख गैर–सरकारी संगठनों/सीबीओ की सेवाओं का उपयोग करना ताकि वे चुनिंदा नगरों/शहरी बस्तियों में स्लम मुक्त नगर के संबंध में मार्गदर्शन कर सकें और समुदाय समर्थन जुटा सकें;
- स्लमवासियों का बायोमैट्रिक पहचान सर्वेक्षण करना तथा बायोमैट्रिक सूचना को स्टोर करने के लिये हार्डवेयर खरीदना (इसमें स्लमवासियों को बायोमैट्रिक पहचान–पत्र देना शामिल नहीं है)– अद्वितीय पहचान–पत्र प्रयासों की आवश्यकताओं पर समुचित ध्यान देना; और
- स्लम एमआईएस/जीआईएस, स्लम मानचित्रण, स्लम विकास/स्लम मुक्त नगर तथा स्लम मुक्त राज्य आयोजना, परियोजना प्रबंधन, निर्धन हितैषी सुधार आदि के क्षेत्रों में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थाओं तथा राष्ट्रीय संसाधन नेटवर्क केन्द्रों की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन।

5.2 सहयोग/क्षमता विकास सहायता

राज्य/नगर शासनों की सहायता करने के लिये निम्नलिखित के संबंध में स्लम मुक्त नगर/राज्य योजना ई–टूल्स तथा मैनुअल तैयार करने में आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की सहायता ली जाए :

क. स्लम सर्वेक्षण एमआईएस – ई–टूल्स (बायोमैट्रिक सूचना को स्टोर करने सहित) तथा इसके उपयोग हेतु मैनुअल;

ख. जीआईएस के उपयोग से स्लम मानचित्रण हेतु टूल– स्लम मानचित्रण हेतु मार्गनिर्देश तैयार करना एवं राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों को तकनीकी सूचना प्रदान करना;

ग. जीआईएस–एमआईएस एकीकरण और जीआईएस सक्षम स्लम एमआईएस नामक गतिशील टूल का विकास जिसका उपयोग स्लम मुक्त नगर आयोजना और स्लम मुक्त योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये टूल के रूप में किया जाएगा। स्लम सर्वेक्षणों पर आधारित एमआईएस का एकीकरण करने के लिये सॉफ्टवेयर तथा मार्गनिर्देश तैयार करना जिसमें दूरसंवेदी और हवाई सर्वेक्षणों एवं भू–स्तरीय कार्रवाईयों से प्राप्त जियोस्पेटियल डाटा आधारित स्लम नक्शों और जीआईएस आधारित स्पेटियल तथा सामाजिक–आर्थिक डाटा शामिल होगा;

घ. नगरों के लिये स्पेटियल आयोजना की रूपरेखा के भीतर स्लमों के जीआईएस मानचित्रण हेतु अपेक्षित अधुनातन उपकरणों, टूलों तथा तकनीकों के उपयोग हेतु मैनुअल। स्लम मानचित्रण कार्य के लिये मास्टर प्लान संरचना को ध्यान में रखना होगा;

ड. स्लम विकास योजना, स्लम मुक्त नगर एवं स्लम मुक्त राज्य योजनाएं बनाने के लिये कदम–दर–कदम मार्गनिर्देश; और

च. स्लम मुक्त नगरों और राज्यों में पदार्पण करने के लिये अपेक्षित सुधारों हेतु दिशानिर्देश।

उपर्युक्त सभी कार्यकलापों के सिलसिले में तथा आवश्यकतानुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने के लिये आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय एक तकनीकी सेल की स्थापना करेगा जिसकी संरचना और उसमें नियोजित पदाधिकारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक पैरा 4.3 में उल्लिखित है तथा आउटसोर्सिंग के आधार पर समुचित कार्मिकों की नियुक्ति की जाएगी। क्षमता निर्माण तथा राज्य/नगर स्तर पर अधिकारियों तथा गैर–सरकारी अधिकारियों को स्लम मुक्त नगर आयोजना से संबंधित विभिन्न मार्गनिर्देशों, मैनुअलों, टूलों, तकनीकों का प्रशिक्षण देने के प्रयोजन से मंत्रालय ऐसे नोडल संस्थानों का चयन करेगा जिनके पास विशिष्ट क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण सेल हों। ये संस्थान क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा तथा निम्नलिखित क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तत्काल सहायता मुहैया कराएगा – क. जीआईएस मानचित्रण, ख. स्लम सर्वेक्षण तथा एमआईएस, ग. स्लम मुक्त नगर आयोजना तथा घ. समावेशी नगर आयोजना के लिये विधायी संरचना।

6. स्कीम के अन्य तौर–तरीके

6.1 स्लम मुक्त नगर आयोजना स्कीम का कार्यान्वयन सचिव (आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन) की अध्यक्षता में कार्यरत राष्ट्रीय संचालन समिति के मार्गनिर्देश के अधीन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय संचालन समिति की संरचना अनुबंध–V में दी गई है और यह समिति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समयबद्ध तरीके से स्लम मुक्त नगर योजनाओं को तैयार करने की समस्त प्रक्रिया का संचालन करेगी और साथ ही उसकी निगरानी भी करेगी। एक तकनीकी समिति (जिसकी संरचना अनुबंध– VI में दी गई है) राज्यों का मार्गदर्शन करेगी। यह समिति तकनीकी, लागत, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की खरीद, आयोजना तथा अन्य पहलुओं में परिचालन मार्गनिर्देश तैयार करके राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों का मार्गदर्शन करेगी और राज्य संचालन समिति की सहायता करेगी।

6.2 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे विस्तृत प्रस्ताव भेजेंगे जिनमें स्लम मुक्त नगर आयोजना–राजीव आवास योजना स्कीम के अंतर्गत सहायता मांगी जाएगी और इन प्रस्तावों पर जेएनएनयूआरएम/आरएवाई से संबंधित केन्द्रीय संस्वीकृति एवं निगरानी समिति द्वारा विचार किया जाएगा। स्वीकृति प्राप्त होने के बाद वित्त मंत्रालय/आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा निधियां दी जाएंगी।

6.3 स्लम मुक्त नगर आयोजना–राजीव आवास योजना से संबंधित राष्ट्रीय संचालन समिति स्कीम के अंतर्गत वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति की निगरानी करेगी।

अनुबंध I

स्लम मुक्त भारत विजन :
प्राथमिकता के आधार पर सुलझाए जाने वाले कुछ प्रमुख नीतिगत मसले

शहरी आयोजना :

नगर मास्टर प्लानों में वर्जन मॉडल का अनुसरण किया जाता है जो उच्च तथा मध्यम आय वर्गों, वाणिज्यिक, सांस्थानिक, मनोरंजनात्मक तथा अन्य उपयोगों के लिये भूमि का आरक्षण तो करता है लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्गों के लिये भूमि का कोई अभिनिर्धारण नहीं करता है। ये योजनाएं नगरों तथा कस्बों की आय वितरण संरचना के अनुरूप नहीं होती हैं। घनत्व तथा विकास नियंत्रण सहित आयोजना के मानदंड अपेक्षाकृत सम्पन्न वर्गों का पक्ष लेते हैं। गगनचुम्बी शहरी भूमि मूल्यों और इन तत्वों के कारण शहरी गरीबों की पहुंच से औपचारिक शहरी भूमि बाजार बाहर निकल जाते हैं। शहरी नीति और आयोजना में यह जो खामी है उसके कारण ही स्लमों का जन्म हुआ है। यह आवश्यक है कि मास्टर प्लानों में भूमि के उपयोग तथा शहरी आयोजना के प्रयोजन से ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्गों को विशिष्ट वर्ग मानकर उनके लिये भूमि का प्रावधान किया जाए। नगर प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित आवास विन्यासों में स्माल लाट जोनिंग की आवश्यकता है ताकि एमआईजी और एचआईजी के साथ–साथ ईडल्यूएस/एलआईजी वर्गों के लिये भूखण्डों की व्यवस्था की जा सके। जनसंख्या घनत्व मानदंडों की भी पुनः समीक्षा की अपेक्षा है। इनकी समीक्षा इसलिए आवश्यक है ताकि इन्हें युक्तिसंगत बनाया जा सके और इस मूल बात को समझा जा सके कि भूमि के ऊंचे दामों के कारण गरीब भूमि से वंचित हो गए हैं और बहुमूल्य भूमि का बेहतर उपयोग हो सके। इन मुद्दों की समीक्षा को क्षमता निर्माण और विशेषज्ञता के रूप में सहायता देना आवश्यक है।

भूमि :

भूमि की कीमत मकान की कीमत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण घटक है। विगत में न तो मास्टर प्लानों में और न ही राज्यों, विकास प्राधिकरणों तथा शहरी स्थानीय निकायों की नीतियों में ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी वर्गों के लिये आवासों के निर्माण के संबंध में पर्याप्त विकसित भूमि की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रावधान किया गया है। वस्तुतः कुछ राज्यों तथा शहरी विकास प्राधिकरणों ने नगरों में उनके पास उपलब्ध सीमित भूमि की नीलामी की है और इस प्रकार उन्होंने भूमि के बाजार मूल्य के लिये बैंचमार्क तय कर दिया है। ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी वर्गों को भूमि के आबंटन हेतु सुपरिभाषित नीति की आवश्यकता है ताकि औपचारिक मास्टर प्लानों में उनके लिये अभिनिर्धारित स्थान की ऐतिहासिक कमी की प्रतिपूर्ति की जा सके। सभी नई आवास कालोनियों की विकसित भूमि का 20 से 25 प्रतिशत भाग ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवासों के लिये आरक्षित करने संबंधी जेएनएनयूआरएम के सुधार को मूर्तरूप देने तक इसे जारी रखने की आवश्यकता है। स्लम क्षेत्रों के संबंध में तथा स्लम उन्नयन के संबंध में विश्वभर में अपनाई जाने वाली परिपाटी के अनुरूप अधिग्रहित भूमि अथवा उसका कोई भाग स्लमवासियों को आबंटित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें रहने के लिये मकान मिल सकें और मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। इन दोनों ही सुधारों को कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता है।

आवास तथा अवसंरचना :

किफायती आवास तथा शहरी क्षेत्रों में विशेषकर स्लमों में मूलभूत अवसंरचना के प्रावधान से सिविल सोसायटी, सरकार और निजी सत्ताओं के बीच सामंजस्य कायम करना होगा क्योंकि ये आयोजना कर सकते हैं। स्लमों को इस लायक बनाना है कि अवसंरचना सुविधाओं का प्रावधान लागत प्रभावी बन सके और समूह आवास कालोनियों का निर्माण करना

है। किफायती मकानों की भारी आवश्यकताओं तथा बड़े पैमाने पर समूह आवास के निर्माण कार्य हाथ में लेने में आवास बोर्डों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर पालिकाओं जैसी सरकारी एजेंसियों द्वारा पेश आ रही क्षमता संबंधी दिक्कतों को देखते हुए यह आवश्यक है कि मालिकाना, किरायेदारी अथवा किरायेदारी–सह–मालिकाना आधार पर किफायती मकानों का स्टॉक बनाने में निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाए और कार्यक्रम को वांछित स्तर तक बढ़ाया जाए। संसाधन जुटाने की तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा संसाधनों को अभिनिर्धारित करने की भी आवश्यकता है ताकि किफायती मकानों, नागरिक अवसंरचना तथा शहरी गरीबों के लिये सेवाओं की लागत को उस स्थिति में पूरा किया जा सके जहां निजी क्षेत्र की भागीदारी संभव नहीं है।

वित्तपोषण :

बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं उधार के जोखिम के मद्देनजर ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्गों को ऋण देने के लिये अनिच्छुक होते हैं क्योंकि इन वर्गों का कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है और ऋणों पर प्रतिबंध लगाने की दिक्कतें हैं। वित्तीय तथा विधिक और सांस्थानिक तंत्रों के जरिये ऋण व्यवस्था में वृद्धि की आवश्यकता है। इसमें सरकारी और गैर–सरकारी आवास निर्माण एजेंसियों से बातचीत करके इस प्राथमिक कार्यक्रम के लिये पूंजी प्रवाह का सुनिश्चिय करना होगा।

अनुबंध II

राजीव आवास योजना :
अनुमत्य तथा गैर–अनुमत्य घटक

अनुमत्य घटक

राजीव आवास योजना (आरएवाई) का कार्यक्षेत्र इस प्रकार है :

i. निम्नलिखित से संबंधित परियोजनाएं –

क. सभी मौजूदा स्लमों चाहे वे अधिसूचित अथवा गैर–अधिसूचित हों, का एकीकृत विकास अर्थात् किराये के मकानों सहित स्लम वासियों/शहरी गरीबों के लिये स्लमों/पुनर्वासन कालोनियों में अवसंरचना का विकास तथा मकानों का निर्माण;

ख. शहरी गरीबों के लिये मूलभूत सेवाओं का विकास/सुधार/रखरखाव जिनमें शामिल है– जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था, ड्रेनेज, ठोस कूड़ा प्रबंधन, पहुंच तथा आंतरिक सड़क, पथ प्रकाश व्यवस्था, सामुदायिक सुविधाएं जैसाकि सामुदायिक शौचालय/गुसलखाने, अनौपचारिक क्षेत्र बाजार, जीविका उपार्जन केन्द्र आदि तथा अन्य सामुदायिक सुविधाएं जैसे स्कूल–पूर्व, बाल देखभाल केन्द्र, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र जिन्हें संबंधित मंत्रालयों के कार्यक्रमों के साथ कार्यान्वित किया जाएगा;

ग. शहरी गरीबों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा स्कीमों को मिलाना और स्लमों को पूरे नगर की अवसंरचनात्मक सुविधाओं/परियोजनाओं के साथ जोड़ना; और

घ. मालिकाना, किराये अथवा किराया खरीद आधार पर किफायती मकानों का स्टॉक सृजित करना जिसमें किराये के मकान भी शामिल हैं और नागरिक अवसंरचना तथा सेवाओं का प्रावधान करना।

ii. क्षमता निर्माण, सामुदायिक समर्थन जुटाना, आयोजना तथा अन्य सहायता

टिप्पणी : पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर में स्कीमों/परियोजनाओं के लिये निजी भूमि के अधिग्रहण को छोड़कर भूमि की लागत का वित्तपोषण नहीं किया जाएगा।

गैर–अनुमत्य घटक

निम्नलिखित से संबंधित परियोजनाओं पर राजीव आवास योजना के अधीन विचार नहीं किया जाएगा :

i) बिजली उत्पादन
ii) दूरसंचार
iii) रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा
iv) कर्मचारियों की व्यवस्था

अनुबंध III

राजीव आवास योजना : राज्य कार्य योजना

1. राज्य स्लम मुक्त कार्य योजना में राज्यों से यह आशा की गई है कि वे पहले कदम के रूप में स्लमवासियों/शहरी गरीबों को सम्पत्ति का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाएं। राजीव आवास योजना के लिये राज्य नोडल एजेंसी राजीव आवास योजना के संबंध में सभी प्रकार के विधायी तथा नीतिगत/कार्यान्वयन पहलुओं का समन्वय करेगी। विधायी संरचना के अंतर्गत स्लमों के पुनर्विकास/पुनर्वास से संबंधित सभी विधायी मामले आएंगे जिनमें घनत्व, विकास नियंत्रण और अन्य पैरामीटर वाले स्पेटियल आयोजना मानदंड भी शामिल हैं।

2. राज्य कार्य योजना की यह अपेक्षा है कि पांच वर्षों में शामिल किये जाने वाले नगरों की पहचान की जाए और पहचान हेतु उनका चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया जाए तथा सम्पूर्ण नगर दृष्टिकोण के प्रति वचनबद्धता की जाए ताकि प्रत्येक चुनिंदा नगर में अधिसूचित अथवा गैर–अधिसूचित सभी मौजूदा स्लमों के उन्नयन हेतु एकीकृत तथा समग्र योजना तैयार की जा सके। हर नगर के भीतर पुनर्वास के लिये हाथ में लिये गये प्रत्येक स्लम में एक समग्र कवरेज की आवश्यकता होगी तथा इसके लिये सभी मूलभूत नागरिक अवसंरचना और सेवाओं एवं अच्छे मकानों का प्रावधान करना होगा। इस संबंध में योजनाबद्ध विन्यासों (मौजूदा तथा संशोधित भवन निर्माण उप–नियमों के अनुसार जहां कहीं आवश्यक हो प्लाटों के पुनर्विन्यास के बाद) एवं सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था (प्रत्येक परिवार के लिये अलग शौचालयों तथा जलापूर्ति की व्यवस्था करके) पर ध्यान देना होगा। आवास निर्माण के संबंध में निर्माण के तरीके तथा निर्माण के लिये धन के प्रबंध के संबंध में राज्य के पास लचीला दृष्टिकोण उपलब्ध होगा अर्थात् नगर पालिका/राज्य से डिजाइन और तकनीकी सहायता के साथ लाभकारी निर्मित आवास मॉडलों का अनुसरण करना, अथवा राज्य पैरास्टेटल या निजी भागीदारों के जरिये मकान का निर्माण करवाना अथवा तरीकों की रूपरेखा तैयार करना। कार्य योजना से यह अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक स्लम में जिस प्रस्तावित मॉडल का अनुसरण किया जाना है उसका उल्लेख किया जाए। सामुदायिक सहभागिता जुटाने के लिये प्रयासों और समग्र विकास के लिये वित्तीय कार्यनीति का उल्लेख किया जाए। अनुबंध–VII में संभावित मॉडलों की सूची दी गई है जिन पर राज्य विचार कर सकता है।

3. राज्य कार्य योजना दो भागों में होनी चाहिए। इस योजना का पहला भाग मौजूदा स्लमों के उन्नयन से संबंधित है और दूसरा भाग नये स्लमों को रोकने से संबंधित है जिसके लिये अगले 20 वर्ष की अवधि रखी जाए। योजना के दूसरे भाग में यह अपेक्षा है कि नगर की वृद्धि दर का आकलन किया जाए तथा संख्याओं के आधार पर भूमि प्राप्त करने के लिये प्रस्तावित कार्यों का उल्लेख किया जाए और किफायती ईडब्ल्यूएस मकानों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाए ताकि मांग को पूरा किया जा सके। योजना के इस भाग के लिये कानूनों और प्रशासन में आवश्यक परिवर्तन करने होंगे ताकि शहरी भूमि का विस्तार किया जा सके और नगर योजना विनियमों में परिवर्तन करने होंगे ताकि सभी नये विकासों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास के लिये आरक्षण किये जा सकें।

4. स्लम मुक्त राज्य योजना में निम्नलिखित सुझाव/कार्य शामिल होंगे :

(क) पूरे राज्य के लिये निम्नलिखित के संबंध में कानून बनाना –

- स्लम परिवारों को सम्पत्ति का अधिकार देना : इस कानून में यह व्यवस्था होनी चाहिये कि सम्पत्ति का कानूनी अधिकार या तो महिला को दिया जाए अथवा परिवार के मुख्य पुरूष सदस्य के साथ संयुक्त रूप से दिया जाए। मकान अथवा भूमि के संबंध में सम्पत्ति के लिये विधिक हकदारी हेतु नगर के अनुकूल प्रावधान किया जाए। सम्पत्ति के अधिकार में सम्पत्ति को रहन रखने तथा उसके उत्तराधिकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि औपचारिक ऋण तंत्र प्राप्त किया जा सके। कुछ वर्षों के बाद इसमें हस्तांतरण की व्यवस्था होनी

चाहिये। हस्तांतरण की अवधि राज्य निर्धारित करेगा और इस अवधि के दौरान राज्य को पुनः हस्तांतरण अनुमत्य होगा।

(ख) निम्नलिखित के संबंध में अन्य कानून होंगे .

- निम्नलिखित के संबंध में विधायी परिवर्तन– प्रत्येक नई सरकारी/निजी आवास निर्माण परियोजनाओं में भूमि के 10 से 15 प्रतिशत भाग के आरक्षण, अथवा 20 से 25 प्रतिशत एफएआर इनमें से जो भी अधिक हो, शहरी गरीबों के लिये नगर पालिका बजट का 25 प्रतिशत अभिनिर्धारित करने एवं सात सूत्री मूलभूत सेवाओं के प्रावधान और जेएनएनयूआरएम के सात सूत्री अध्याय के अंतर्गत यथा–उल्लिखित गरीबों को हकदारी के संबंध में वचनबद्धता ताकि भविष्य में गरीबों के लिये सेवायुक्त भूमि उपलब्ध कराई जा सके और स्लमों को रोका जा सके। कई राज्यों ने इस प्रयोजन हेतु जेएनएनयूआरएम सुधारों के अंग के रूप में कार्यकारी आदेश जारी किये हैं और उन्हें कानूनी आधार प्रदान करने के लिये कार्रवाई की जानी होगी;
- नगर नियोजन, शहरी विकास तथा नगर पालिकाओं से संबंधित अधिनियमों में संशोधन ताकि आबादी घनत्व मानदंडों, एफएआर, भूमि उपयोग, आदि में संशोधन किया जा सके और जहां कहीं उचित हो निजी क्षेत्र की भागीदारी को शामिल करने तथा भावी अपेक्षाओं के लिये स्वस्थानी स्थायीकरण के लिये स्थानीय जोनिंग और अन्य रियायतों की अनुमति दी जा सके;
- उन कानूनों में संशोधन जिनके अधीन शहरी क्षेत्रों के विस्तार हेतु भूमि प्राप्त की जाती है ताकि नगर की संभावित वृद्धि दर के अनुसार शहरी भूमि का विस्तार किया जा सके। नगरों की बेतरतीब वृद्धि का एक कारण मकानों की कमी है और योजनाबद्ध विस्तार की धीमी गति है। जिसके परिणामतः ऐसी अनाधिकृत कालोनियों की संख्या में ताबडतोड वृद्धि हुई जो नगर पालिका सेवाओं अथवा कराधान के दायरे के बाहर आती हैं; और
- किराया नियंत्रण विधान में संशोधन। यह संशोधन कम से कम उस सीमा तक किया जाए जिससे बाजार द्वारा शासित शर्तों पर किरायेदारी वाले नये मकान बनाए जा सकें।

(ग) शामिल किये जाने वाले नगरों का पता लगाना और शामिल करने हेतु उनके लिये चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार करना : राज्यों को यह तय करना है कि क्या वे सभी कस्बों/शहरी क्षेत्रों को शामिल करना चाहते हैं अथवा किसी विशिष्ट निर्णय के लिये एक स्पष्ट कारण के रूप में पीपीपी संभावनाओं के मद्देनजर आकार अथवा अन्य मानदंड के आधार पर नगरों का चुनाव कर सकते हैं। इसकी यह अपेक्षा होगी की मिशन नगरों और अधिक आबादी तथा वृद्धि दर वाले नगरों के लिये पहले स्लम मुक्त नगर योजनाएं तैयार की जाएं। किसी नगर के भीतर चणबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के संबंध में ऐसे स्लमों को पुनर्विकास के संबंध में प्राथमिकता दी जाएगी जहां स्थितियां बहुत ही अपर्याप्त हों। नगर पालिका सेवाओं से रहित अनाधिकृत कालोनियों अथवा नियमित अनाधिकृत कालोनियों की केन्द्रीय सहायता हेतु पात्रता राज्य कार्य योजना के भाग दो के कार्यान्वयन के प्रकार पर आधारित होगी।

(घ) पहचान किये गये प्रत्येक नगर के लिये अधिसूचित अथवा गैर–अधिसूचित सभी प्रकार के स्लमों और नगरपालिका सेवाओं से रहित सभी अनाधिकृत कालोनियों और नियमित अनाधिकृत कालोनियों का मानचित्र बनाने के लिये सम्पूर्ण नगर दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। प्रत्येक नगर में सम्पूर्ण स्लम सर्वेक्षण किया जाएगा। यह स्लम सर्वेक्षण बायोमैट्रिक पहचान के साथ किया जाएगा ताकि प्रत्येक स्लम वासी की अधिकारों को प्रदान करने के प्रयोजन से पहचान (निवासी जो गृहस्वामी से भिन्न है) की जा सके। उन स्लमों की पहचान की जाएगी जिनका भूमि उपयोग तथा एफएआर में परिवर्तन के साथ अथवा उनके बिना सम्पूर्ण रूप से उन्नयन किया जा सकता है और ऐसे स्लमों की भी पहचान की जाए जो आरक्षणीय हों और उन्हें पुनः स्थापित किया जाना हो। सम्पूर्ण नगर दृष्टिकोण के साथ खाली पड़ी भूमि की सूची बनाई जाए। सम्पूर्ण नगर योजना बनाई जाए ताकि आरक्षणीय स्लमों को निकटवर्ती उपलब्ध खाली जगह पर स्थानांतरित किया जा सके अथवा उन्हें ऐसे अधिसूचित स्लम में स्थानांतरित किया जा सके जिसमें उनके लिये जगह हो। ऐसे स्लम चित्रण में अतिक्रमित भूमि के मालिकाना वर्गों की मैपिंग भी शामिल होगी अर्थात् नगर पालिका, राज्य,

केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा निजी ताकि प्रत्येक मालिकाना वर्ग के अनुकूल नियमितीकरण और पुनर्निमाण हेतु हल खोजा जा सके और भू–उपयोग संशोधन जहां कहीं अवसंरचना अनुमति देती हो अतिरिक्त एफएआर का सुनिश्चय किया जा सके। इसका उद्देश्य वास्तविक स्थान का सृजन करना और प्रोत्साहन प्रदान करना है। सम्पूर्ण नगर दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी स्लम पुनर्निमाण तथा पुनर्वास की प्रक्रिया से अछूता न रहे। यह पुनर्वास तथा पुनर्निमाण या तो स्वस्थानी हो सकता है या अन्य उपयुक्त जगह पर पुनः स्थापन करके हो सकता है।

(ड.) प्रत्येक स्लम में सम्पूर्ण स्लम दृष्टिकोण अपनाकर घोषित समय–सीमा के भीतर अवसंरचना का प्रावधान करने के लिये प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शेष नगर के समतुल्य ही अवसंरचना, नागरिक सेवाएं देने का भरसक प्रयास किया जाएगा और पर्याप्त हरित जगह की व्यवस्था की जाएगी एवं सामुदायिक केन्द्र, जीविका उपार्जन केन्द्र, स्कूल, चिकित्सा केन्द्र आदि जैसी सुविधाओं, जहां कहीं ये न हों, की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिये मकानों और प्लाटों की व्यवस्था का पुनर्विन्यास किया जाएगा। प्रत्येक परिवार के लिये अलग जलवाही शौचालयों तथा जलापूर्ति कनेक्शनों की व्यवस्था करके सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था के प्रावधान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। जहां कहीं उपलब्ध हो सीवर तथा जलापूर्ति की बाह्य कनेक्टिविटी दी जाएगी। यह कार्य या तो जेएनएनयूआरएम के यूआईजी उप–मिशन अथवा यूआईडीएसएसएमटी के अधीन किया जाएगा अथवा सीधे ही किया जाएगा।

(च) मौजूदा स्लम उन्नयन के अतिरिक्त स्लम मुक्त हैसियत के प्रति वचनबद्धता में उठाये जाने वाले प्रस्तावित उपायों, किफायती मकानों के निर्माण को प्रोत्साहित करने वाली परियोजनाओं तथा समय–सीमा का उल्लेख किया जाना चाहिये। ऐसे उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल होंगे :

- विभिन्न नगरों तथा बस्तियों में शहरी आबादी की वृद्धि दर का आकलन;
- अगले 20 वर्षों में भूमि तथा मकानों की आवश्यकता का आकलन करना ताकि वर्तमान जनसंख्या घनत्व तथा उपलब्ध अवसंरचना को ध्यान में रखते हुए इस आवश्यकता को पूरा किया जा सके;
- वर्तमान शहरी भूमि विस्तार दृष्टिकोण, मॉडलों तथा तंत्रों और प्रस्तावों की समीक्षा की जाए ताकि परिकल्पित दर पर विस्तार किया जा सके;
- मौजूदा आवास कमी को पूरा करने एवं भावी विशेषकर ऐसे ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिये भावी आवश्यकता को पूरा करने से संबंधित प्रस्ताव जो विधितर स्थानों में रहने के लिये मजबूर हैं और यह कार्य अधिमानतः निजी क्षेत्र अथवा राज्य पेरास्टेटलों की सहायता से किया जाए;
- नगर नियोजन मॉडल की समीक्षा तथा उसमें संशोधन का प्रस्ताव (जो अधिकांशतः विभिन्न भू–उपयोग का हो और इसके लिये आर्थिक रूप से ऐसे कमजोर वर्गों को बसाया जाए जो परिवहन नोड्स और कोरिडोर के साथ वाले स्थान पर रह रहे हों) और जनसंख्या घनत्व मानदंडों की समीक्षा और उनमें संशोधन का प्रस्ताव; और
- सुसंगत नगर नियोजन और वृद्धि के लिये कानून लागू करने हेतु समय–सीमा।

(छ) नगर नियोजन तथा शहरी भूमि नियोजन की समीक्षा और पुनरीक्षण के लिये क्षमता निर्माण तथा विकास दृष्टिकोण कार्य योजना का अनिवार्य भाग होना चाहिए।

अनुबंध IV

स्लम मुक्त नगर कार्य योजना तैयार करने हेतु दिशानिर्देश

स्लम मुक्त नगर कार्य योजना की अपेक्षा है कि स्लम पुनर्विकास/पुनर्वास योजनाएं निम्नलिखित पर आधारित हों– (क) अधिसूचित तथा गैर–अधिसूचित सभी स्लमों का सर्वेक्षण, (ख) जियो–स्पेटियल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए स्लमों का डाटा बेस तैयार करना, (ग) स्पेटियल तथा सामाजिक–आर्थिक डाटा का परस्पर विलय, तथा (घ) प्रत्येक स्लम के लिये प्रस्तावित पुनर्विकास मॉडल की पहचान। इसकी यह भी अपेक्षा है कि ऐसी नीतियां बनाई जाएं और उपाय किये जाएं ताकि भविष्य में स्लमों की वृद्धि न हो सके।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्लम मुक्त नगर/स्लम पुनर्विकास/पुनर्वास योजनाएं तैयार करने के लिये निम्नलिखित कदमों पर विचार कर सकते हैं बशर्ते स्लम मुक्त नगर आयोजना की सम्पूर्ण प्रक्रिया व्यवसायिक रूप से व्यवस्थित हो और उसमें एनजीओ, सीबीओ, महापौरों सहित चुने हुए निगम पार्षदों, महापौरों और नगर पालिका अध्यक्षों, विशेषज्ञों आदि की सहभागिता भी हो।

कदम 1: जियो–रेफरेंस्ड सिटी बेस मैप तैयार करना

1.1 मौजूदा स्पेटियल डाटा की सूची बनाना

शहरी स्थानीय निकाय के स्तर पर स्लम मुक्त नगर सेल जीआईएस मैपिंग के लिये नियुक्त तकनीकी एजेंसी (एजेंसियों) के साथ मिलकर विभिन्न एजेंसियों के पास उपलब्ध मौजूदा स्पेटियल डाटा की सूची बनाएगा। यह सेल राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केन्द्र (एनआरएससी), भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), आदि से मौजूदा डिजीटल/हार्ड कापी मैप/डाटा लेगा। यदि ये मैप/स्पेटियल डाटा (जिससे राष्ट्रीय स्तर पर गठित तकनीकी समिति द्वारा विनिर्दिष्ट तकनीकी अपेक्षाएं होती हों) विभिन्न शहरी प्राधिकरणों अथवा विशिष्ट एजेंसियों (उदाहरणार्थ दिल्ली के मामले में डीएमआरसी) के पास शहरी बस्तियों के संबंध में पहले ही उपलब्ध हो तो इन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाना चाहिए। मौजूदा मैपों और स्पेटियल डाटा की उपयोगिता तथा यथार्थता/विश्वसनीयता की जांच उन्हें एकसाथ मिलाने के समय की जानी चाहिए।

नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ) द्वारा कार्यान्वित शहरी विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली स्कीम से उपलब्ध डाटा सहित मौजूदा डाटा की उपलब्धता और उसकी उपयोगिता, के आधार पर नये डाटा को प्राप्त करने और उसे प्राप्त करने के तौर–तरीके स्लम मुक्त नगर सेल द्वारा राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी के परामर्श से तय किये जाएंगे। उपर्युक्त के लिये कार्य पद्धति, मैपिंग का स्तर और मानक वही होंगे जो राष्ट्रीय तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित किये गये हैं।

1.2 नगर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों की सैटेलाइट इमेज प्राप्त करना

1.2.1 नगर और उसके शहरीकरण भागों यथा बेस मैप तैयार करने के उद्देश्य से नियोजन क्षेत्र सीमा के लिये कार्टोसेट इमेजिज (क्रमशः 2.5 मीटर/1 मीटर रेजोल्युशन की कार्टोसेट । और कार्टोसेट ।। इमेज) एनआरएससी/इसरो से प्राप्त की जा सकती है। सैटेलाइट इमेज प्राप्त करते समय अगले 20 वर्षों में मौजूदा नगर पालिका सीमाओं में संभावित शहरी विस्तार को शामिल किया जाना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है कि नगर के क्षेत्रों में स्लम संबंधी ऐसी समस्याओं को हल किया जा सके जिनके बारे में ऐसी संभावना हो कि वे शहर के विस्तार के साथ–साथ बढ़ेंगी। आयोजना क्षेत्र (जिसके बारे में मैपिंग के प्रयोजन हेतु इमेजिज प्राप्त की जानी चाहिए) का सीमांकन स्थानीय निकाय तथा महानगर आयोजना समिति/शहरी विकास प्राधिकरण (अथवा अपेक्षाकृत बड़ी नगर बस्तियों के मामले में प्राधिकरणों) के सहयोग से किया जाना चाहिए। जो छोटे नगर/कस्बे किसी भी शहरी विकास प्राधिकरण के

क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं उनके मामले में मैपिंग के प्रयोजन हेतु योजना क्षेत्र का चित्रण नगर पालिका तथा जिला शहरी विकास एजेंसी/नगर नियोजन विभाग के जिला कार्यालय/जिला आयोजन समिति के साथ परामर्श करके किया जाना चाहिए।

1.2.2 इमेजों का प्रयोग करके बेस मैप तैयार करने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकाय में स्लम मुक्त नगर सेल/राज्य नोडल एजेंसी एनआरएससी/इसरो से आवश्यक इमेजरी प्राप्त करेंगे और एक या अधिक तकनीकी एजेंसियों का सहयोग लेंगे– एनआरएससी/इसरो की सहभागी एजेंसियां जैसे राज्य रिमोट सेंसिंग सेंटर, सरकारी तथा गैर–सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत तकनीकी रूप से सक्षम अन्य एजेंसियां एवं ख्यातिप्राप्त संस्थान।

1.3 सैटेलाइट इमेजिज की जियो–रेफरेंसिंग और सम्पूर्ण शहरी बस्ती क्षेत्र के लिये बेस मैप तैयार करना

शहरी बस्ती के सीमांकित क्षेत्र (आयोजना क्षेत्र) के लिये बेस मैप राष्ट्रीय तकनीकी समिति द्वारा यथानिर्धारित मानकीकृत रेफरेंस फ्रेम (जिसमें डेटम, प्रॉजेक्शन परिभाषित हो) का उपयोग करते हुए जीआईएस फॉर्मेट में 1:5000 स्केल अथवा अन्य समुचित स्केल पर तैयार किये जाने चाहिए। इस कार्य को तकनीकी एजेंसी/राज्य नगर नियोजन विभाग/शहरी विकास प्राधिकरण/स्टेट रिमोट सेंसिंग सेंटर एवं अन्य के सहयोग से स्लम मुक्त नगर सेल द्वारा किया जाएगा।

1.4 बेस मैप में स्लम क्षेत्रों और खाली पड़ी भूमि की पहचान और सीमांकन

1.4.1 राज्य सरकार द्वारा संगत स्लम अधिनियम अथवा नीति/कार्यकारी अनुदेशों के अधीन यथा उपबंधित स्लम पहचान के लिये मानदंडों का नगरों द्वारा पालन किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय में कार्यरत स्लम मुक्त नगर सेल शहरी विकास प्राधिकरण सहित राजस्व तथा अन्य प्राधिकरणों की सहायता से अपने संबंधित क्षेत्रों (वार्ड/जोन–वार) में ऐसे स्लमों की सूची बनाएगा जो उपर्युक्त मानदंड पूरा करते हों। प्रत्येक जोन में इस सूची की प्रतिजांच निम्नलिखित आधार पर की जानी चाहिए :

(i) शहरी स्थानीय निकाय इस सूची की प्रतिजांच सैटेलाइट इमेज से करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई स्लम पॉकेट इसमें शामिल होने से रह तो नहीं गया है और यदि ऐसा होगा तो उस स्लम पॉकेट को इस सूची में शामिल कर देगा।

(ii) इसके साथ–साथ उन स्लमों की पहचान करके सैटेलाइट इमेजों को भी अद्यतन बनाया जाएगा जो वास्तविक कारणों के कारण इमेजों में पहचाने नहीं जा रहे हों। यह कार्य नगर पालिका अधिकारियों तथा एनजीओ/सीबीओ के प्रतिनिधियों की सहायता से किया जाएगा और ये वास्तविकता का पता लगाएंगे।

टिप्पणी : वार्ड और जोन सीमाएं मैप में शामिल की जाएगीं और स्लमों का जोन–वार वर्गीकरण किया जाएगा। जहां प्रशासनिक/आयोजना जोन नहीं हैं वहां इन्हें समुचित आकार के एक जोन में कुछ समीपवर्ती वार्डों को लेकर तैयार किया जाएगा।

1.4.2 नगर में प्रत्येक जोन में स्लमों का पता लगाने के लिये उपर्युक्त दोनों प्रकार के कार्यों के लिये प्रतिष्ठित एनजीओ/सीबीओ (शहरी स्लमों में कार्य का अनुभव रखने वाले) का सहयोग लिया जा सकता है। अच्छा तो यह होगा की इन प्रमुख एनजीओ/सीबीओ का पारदर्शी प्रकिया के जरिये पता लगाया जाए और उन्हें इस कार्य के लिय रखा जाए क्योंकि समुदाय के साथ साख बढ़ाने और उनका समर्थन हासिल करने की प्रकिया समस्त कार्य तथा सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण शुरू होने से पहले शुरू की जानी चाहिए।

1.4.3 इस स्तर पर ऐसी खाली पड़ी भूमि का पता लगाया जाना चाहिए जिसका उपयोग जोन में/उसी क्षेत्र के भीतर स्लम आबादी को बसाने के लिये किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसी सभी उपलब्ध भूमि की सूची बनाई जानी चाहिए जिसका उपयोग पुनर्विकास के लिये किया जाएगा और इसे बेस मैप (जोन–वार) में चिन्हित किया जाना चाहिए।

खाली भूमि के क्षेत्रफल की प्रतिजांच परवर्ती स्तर पर की जानी होगी ताकि मौजूदा स्लम आबादी को बसाने के लिये उसकी उपयुक्तता और पर्याप्तता का पता लगाया जा सके। ये कार्य स्लम स्तरीय स्पेटियल और सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षणों से स्लम घनत्व के सही आंकड़े उपलब्ध होने के बाद किया जाए। नगर आयोजना के लिये महत्वपूर्ण नगर की भावी जरूरतों (उदाहरणार्थ परिवहन नोड, बीआरटीएस, एमआरटीएस आदि) को भी स्लम वासियों को बसाने के प्रयोजन हेतु खाली पड़ी जमीन की सूची बनाते हुए ध्यान में रखा जाना चाहिए।

1.5 स्लम क्षेत्रों का चित्रण सम्पूर्ण स्टेशन सर्वेक्षण सहित स्लम अवसंरचना की मैपिंग

1.5.1 स्लम पॉकेटों का पता लगाए जाने के बाद सम्पूर्ण स्लम स्टेशन सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए सूचीबद्ध प्रत्येक स्लम बस्ती तथा खाली भूमि के पार्सल का विस्तृत खाका राष्ट्रीय तकनीकी समिति द्वारा यथा–निर्धारित 1:5000 के स्केल अथवा उससे बड़े स्केल पर बनाया जाना चाहिए। इसकी बेस मैप के साथ जियो–रेफरेंसिंग की जानी चाहिए और बेस मैप तथा सैटेलाइट इमेजिज पर स्लम पॉकेटों का सही–सही क्षेत्र परिमाप और रूपरेखा का चित्रण करना होगा।

1.5.2 इस बात का सुनिश्चिय करने के लिये कि स्लमों को बाढ़ का कितना खतरा है यह आवश्यक है कि स्लम तथा उसके आसपास के क्षेत्रों का डिजीटल एलेवेशन मॉडल तैयार करना आवश्यक होगा। नगर में उपलब्ध सूचीबद्ध खाली भूमि के संबंध में भी ऐसा ही करना होगा ताकि पुनर्स्थापन के प्रयोजन हेतु उसकी उपयोगिता का पता लगाया जा सके। इस उद्देश्य के लिये यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय तकनीकी समिति द्वारा यथा–निर्धारित उचित समय के बाद रूपरेखा सर्वेक्षण किया जाए। यह पर्वतीय/उबड–खाबड क्षेत्रों अथवा बाढ़ के खतरे वाले मैदानी क्षेत्रों में बसी बस्तियों के संबंध में विशेष रूप से संगत होगा। जिस स्लम क्षेत्र की भूमि (अथवा उसके किसी भाग) के बारे में यह पाया जाता है कि उसे बाढ़ से खतरा है तो उसे अरक्षणीय घोषित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार उस खाली भूमि का स्लम पुनर्स्थापन के प्रयोजन से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए जिसके संबंध में बाढ़, भूस्खलन आदि जैसे नैसर्गिक खतरों की संभावना हो।

टिप्पणी : यह महत्वपूर्ण है कि प्रमुख एनजीओ/सीबीओ प्रत्येक स्लम पॉकेट में समुदाय समर्थन जुटाने का कार्य शुरू करें। यह कार्य सम्पूर्ण स्टेशन/सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण के साथ–साथ अथवा उससे पूर्व किया जाना चाहिए ताकि सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान स्लम समुदायों के साथ संवादहीनता से कोई विवाद खड़ा न होने पाए।

1.5.3 सम्पूर्ण स्टेशन सर्वेक्षण के दौरान स्लम पॉकेटों तथा उनके आसपास के क्षेत्रों को शामिल करते हुए जलापूर्ति, ड्रेनेज व्यवस्था, सड़कों, पथ प्रकाश, स्कूल, अस्पताल, सामुदायिक हाल, आदि जैसी विभिन्न अवसंरचनात्मक सुविधाओं का भी मैप बनाया जाना चाहिए ताकि परवर्ती स्तरों पर स्लम वासियों के लिये मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था हेतु योजना बनाई जा सके। जलापूर्ति, सीवर/ड्रेनेज/गैस/केबल आदि जैसी भूमिगत सुविधाओं का मैप ग्राउंड पेनीट्रेटिंग रडार का उपयोग करके बनाया जाना चाहिए। समस्त स्पेटियल तथा गैर–स्पेटियल अवसंरचनात्मक डाटा को भी जीपीएस प्रौद्योगिकी, ग्राउंड पेनीट्रेटिंग रडार (जीपीआर) तथा क्षेत्र सर्वेक्षण का उपयोग करके प्राप्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त किया गया सुविधा डाटे को बेस मैप डाटा बेस में जोड़ देना चाहिए। यदि खाली पड़ी भूमि का उपयोग स्लम परिवारों के विकास/पुनर्स्थापन के लिये किया जाना है तो उसके संबंध में भी यही प्रक्रिया की जाने की आवश्यकता है।

टिप्पणी : यदि स्लम बड़े घने हैं तो इंटर–विजिबिलिटी समस्या की वजह से सम्पूर्ण स्टेशन सर्वेक्षण पद्धति नहीं अपनाई जा सकती। ऐसे मामले में प्लेन टेबल सर्वेक्षण, सम्पूर्ण स्टेशन सर्वेक्षण और/अथवा सैटेलाइट डाटा के उपयोग पर विचार किया जा सकता है।

1.5.4 सम्पूर्ण स्टेशन सर्वेक्षण तथा अन्य सर्वेक्षण तकनीकी एजेंसी/बिडर/वेंडर तथा शहरी स्थानीय निकाय के स्लम मुक्त नगर सेल/नगर नियोजन विंग के जीआईएस तकनीकीविदों की सर्वेक्षण टीम के संयुक्त प्रयासों से किये जा सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय कार्मिक तथा प्रमुख एनजीओ/सीबीओ के प्रतिनिधि सर्वेक्षण टीम के साथ जा सकते हैं ताकि वे विभिन्न अवसंरचनात्मक नेटवर्क की पहचान करने में उनका मार्गदर्शन कर सकें और अपेक्षित डाटा इकट्ठा करने में उनकी सहायता कर सकें।

1.5.5 राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी समिति विभिन्न अवसंरचना तथा अन्य घटकों के सम्पूर्ण स्टेशन सर्वेक्षण और मैपिंग हेतु दिशानिर्देश मुहैया कराएगी।

कदम 2: स्लम सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण और स्लम एमआईएस तैयार करना

2.1 पारिवारिक सामाजिक–आर्थिक और बायोमैट्रिक सर्वेक्षण

2.1.1 सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण से विभिन्न स्लम पॉकेटों में स्लमों और स्लम परिवारों के संबंध में भूमि की स्थिति जनसांख्यिकी प्रोफाइल, मकानों की स्थिति, आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक स्थिति, अवसंरचना की उपलब्धता, परिवार स्तरीय सूचना आदि के संदर्भ में ब्यौरा प्राप्त होगा। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एनबीओ) ने नगरों में स्लम परिवारों और आजीविका उपार्जन के संबंध में सर्वेक्षण करने के लिये मॉडल फार्मेट परिचालित किये हैं और स्लम सर्वेक्षण कार्य करने वाले और डाटा बेस संकलित करने वाले पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये नियम–पुस्तिका भी परिचालित की है। इन सर्वेक्षण फार्मेटों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समुचित समझे जाने वाले संशोधनों सहित अथवा उनके बिना अपनाया जा सकता है।

2.1.2 बायोमैट्रिक सर्वेक्षण से परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों के संबंध में अद्वितीय बायो पहचान चिन्ह प्राप्त होंगे। यह यूनिक आइटेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अधीन किया जाएगा।

2.1.3 डाटा प्रविष्टि, डाटा संकलन, मिलान तथा विश्लेषण प्रक्रियाएं स्लम सर्वेक्षणों के दौरान प्राप्त सभी प्रकार की सूचना के लिये वार्ड/जोन स्तर पर एक साथ सम्पन्न की जाएंगी। आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय दिशानिर्देश/विकसित सॉफ्टवेयर पर आधारित एमआईएस फार्मेट में डाटा की प्रविष्टि की जाएगी।

2.2 भू–स्वामित्व/धारणाधिकार स्थिति की मैपिंग

भू–स्वामित्व/विधिक अधिकार समस्त स्लम पॉकेट अथवा खाली पड़ी भूमि के पार्सल के लिये एकल सत्ता से संबंधित होगा। इसलिए सीमांकित स्लम क्षेत्र और पहचान की गई खाली भूमि के भीतर भू–स्वामित्व अधिकार/भू–टेन्योर स्थिति की मैपिंग आवश्यक है। समस्त स्लम पॉकेट और खाली भूमि (पुनर्स्थापन के लिये पता लगाई गई) के संबंध में भू–स्वामित्व तथा भूखण्ड की सीमाओं से संबंधित सूचना राजस्व/नगरपालिका के रिकार्डों से एकत्र की जाएगी। यह कार्य करते समय ऐसी भूमि का पता लगाया जाना होगा जिसके स्वामित्व के बारे में अस्पष्टता की स्थिति है/जिसका स्वामित्व विवादग्रस्त है ताकि भूमि के स्पष्ट स्वामित्व अधिकार के उद्देश्य से विवाद को हल करने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। स्वामित्व/टेन्योर स्थिति दर्शाने वाली सभी भूखण्ड सीमाओं को डिजीटल बनाया जाएगा और उनकी जियो–रेफरेंसिंग की जाएगी।

टिप्पणी : सक्षम और प्रशिक्षित सम्पूर्ण स्टेशन सर्वेक्षण/स्लम सर्वेक्षण टीमों की उपलब्धता के आधार पर नगर स्पेटियल और सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षणों को एक साथ मिला सकते हैं अथवा अलग–अलग कर सकते हैं।

कदम 3 : जीआईएस सक्षम स्लम एमआईएस बनाने के लिये स्लम/नगर स्तर पर स्पेटियल डाटा और सामाजिक–आर्थिक (बायोमैट्रिक सहित) सूचना को परस्पर मिलाया जाना

सम्पूर्ण स्टेशन सर्वेक्षण, स्लम रूपरेखा सर्वेक्षण, भूमि अधिकार सूचना, सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण से प्राप्त डिजीटल मैपों को जीआईएस प्लेटफार्म में विभिन्न लेयरों में रखा जाएगा और उसे एकीकृत किया जाएगा ताकि डाटा का विश्लेषण किया जा सके। यह कार्य स्लम मुक्त नगर योजना तैयार करने के लिये विभिन्न पैरामीटरों का उपयोग करके किया जाएगा। इस कदम के अंतर्गत स्लम सामाजिक–आर्थिक तथा बायोमैट्रिक सूचना को जीआईएस प्लेटफार्म पर स्लम, जोन तथा नगर स्तरीय बेस मैपों में जोड़ना होगा। जीआईएस सक्षम स्लम एमआईएस से प्राप्त सूचना के आधार पर स्लमों को वर्गीकृत किया जा सकता है। स्लमों का वर्गीकरण करने का कार्य भूमि मूल्य, स्लम घनत्व, स्लम वासियों की सामाजिक–आर्थिक विशेषताओं आदि जैसे पैरामीटरों का उपयोग करके किया जाएगा। इससे विभिन्न स्पेटियल स्केलों पर डाटा का विश्लेषण हो सकेगा और स्लमों के विभिन्न प्रकारों का पता लगेगा तथा विकास मॉडल का चयन और अपनाए जाने वाले विकल्प का चयन सुविधाजनक बनेगा।

कदम 4: स्लम पुनर्विकास योजनाएं तैयार करना

4.1 स्लमों का वर्गीकरण – पुनर्विकास हेतु स्लम समुदायों को उपलब्ध मूल्यांकन विकल्प

4.1.1 जीआईएस सक्षम स्लम एमआईएस का उपयोग करते हुए जोनल आधार पर स्लमों के वर्गीकरण से स्लमों के विभिन्न वर्गों के लिये अलग–अलग पुनर्विकास मॉडल/तंत्र तैयार करने में मदद मिलेगी। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर समुचित ध्यान देना होगा– भूमि की रक्षणीयता/अरक्षणीयता, जोन के भीतर प्रत्येक स्लम पॉकेट का मौजूदा जनसंख्या घनत्व, अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व जिसे जोड़ा जा सकता है, आदि। स्लम और खाली भूमि को पहले रक्षणीय, अर्ध रक्षणीय अथवा अरक्षणीय वर्गों में वर्गीकृत किया जाना होगा। अरक्षणीय स्लम/खाली भूमि वह स्लम और खाली भूमि होगी जो निवासियों के लिये अथवा उसके आस–पडोस के लिये सुरक्षा की दृष्टि से अथवा स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक हो चाहे उसका पुनर्विकास कर दिया जाए तो भी। ऐसे अरक्षणीय स्थलों अथवा भागों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें उसी जोन के भीतर अन्य पुनर्विकास/खाली जगह पर पुनर्स्थापित किया जाएगा।

4.1.2 भू–स्वामित्व सूचना और भूमि की कीमत के आधार पर स्लमों/खाली पड़ी भूमि को उप–वर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा ताकि जोन के भीतर प्रत्येक स्लम पॉकेट के लिये अपनाए जाने वाला पुनर्विकास मॉडल तय किया जा सके। इस प्रकार स्लम पुनर्विकास के लिये उपलब्ध विकल्पों को रक्षणीयता, जनसंख्या घनत्व, स्वामित्व तथा भूमि की कीमत जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्लम मुक्त नगर सेल/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किया जाएगा।

4.1.3 अरक्षणीय स्थलों का पता लगाने के लिये और स्लमों के वर्गीकरण हेतु राष्ट्रीय तकनीकी समिति द्वारा दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे।

4.2 स्लमों का पुनर्विन्यास – पुनर्विकास मॉडल का चयन

4.2.1 स्पेटियल विश्लेषण और सम्पन्न स्थिति आकलन के आधार पर स्लम समुदायों के साथ सहभागिता प्रकिया की शुरूआत की जानी चाहिए। यह कार्य प्रमुख एनजीओ/सीबीओ की सहायता से किया जाएगा ताकि पुनर्विकास/पुनर्वास मॉडलों का विकल्प तय किया जा सके– पीपीपी, समुदाय द्वारा, सरकारी एजेंसियों द्वारा व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण, आदि। अनुबंध–VII में वैकल्पिक स्लम पुनर्विकास/पुनर्वास/किफायती आवास मॉडलों की सांकेतिक सूची दी गई है। मॉडल के चयन के लिये वार्ता की जानी होगी ताकि उच्च घनत्व/अरक्षणीय स्लमों से स्लम परिवारों का उसी जोन में न्यून घनत्व रक्षणीय स्लमों में पुनर्स्थापन की संभावनाओं का पता लगाया जा सके। वार्ता करते समय और स्लम पुनर्विकास मॉडल तय करते समय सरकारी–निजी भागीदारी और व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण विकल्पों की संभावनाओं का पता

लगाने के लिये समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। जिन स्लमों को सरकारी–निजी भागीदारी के आधार पर पुनर्विकसित किया जा सकता हो उन्हें अधिमानता दी जानी चाहिए।

4.2.2 स्लम समुदाय जब सबसे अनुकूल विकल्प तय कर लेंगे तो स्लमों का पुनर्विन्यास तथा आंतरिक भूखण्ड सीमाओं के अंकन का कार्य किया जाएगा। यह कार्य भू–पूलिंग तथा तंत्र के विलय के आधार पर किया जाएगा और इसमें आंतरिक अवसंरचना यथा जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था, वर्षा जल निकासी व्यवस्था, ठोस ठोस कूड़ा प्रबंधन, सड़क व्यवस्था, बिजली सम्प्रेषण लाइनों और उप–वितरण केन्द्रों, उद्यानों, खेल के मैदानों, शिक्षा तथा स्वास्थ्य देखभाल, जीविका उपार्जन केन्द्र, कार्य स्थलों, अनौपचारिक क्षेत्र बाजार आदि को भी ध्यान में रखा जाएगा। बाह्य अवसंरचनात्मक कनेक्टिविटी की आंतरिक अवसंरचना के साथ–साथ योजना बनाई जानी चाहिए।

4.2.3 प्रत्येक स्लम पुनर्विकास/पुनर्स्थापन योजना में संक्रमण/अस्थायी आश्रय का भी प्रबंध किया जाएगा। यह प्रबंध पुनर्विकास/पुनर्स्थापन प्रक्रिया का अंग होगा और पुनर्विकास/पुनर्स्थापन प्रक्रिया शुरू होने से पहले इसके लिये एक निश्चित समय–सीमा तय की जाएगी।

कदम 5 : स्लम मुक्त नगर योजना तैयार करना तथा मास्टर/विकास योजना की समीक्षा/संशोधन

5.1 स्लम मुक्त नगर योजना तैयार करना

5.1.1 नगर में विभिन्न स्लम वर्गों के पुनर्विकास/पुनर्वास हेतु प्रस्तावित समस्त विभिन्न स्लम विकास योजनाओं ओर तंत्रों को मिलाने के बाद स्लम मुक्त नगर योजना (योजना के चरणबद्ध कार्यक्रम सहित) बनेगी।

5.1.2 स्लम मुक्त नगर योजना 5 वर्ष की अवधि के लिये एक अल्पावधिक विकास योजना है और इसमें उस तरीके का उल्लेख होगा जिसके जरिये नगर को स्लम मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिये स्लमों का पुनर्विकास/पुनर्वास किया जाएगा और साथ ही निवारक उपाय भी किये जाएंगे। इस योजना में निम्नलिखित के संबंध में मौजूदा स्थिति और प्रस्ताव होंगे– भू–उपयोग, अवसंरचना (बाह्य तथा आंतरिक) इसमें अपनाए जाने के लिये प्रस्तावित पुनर्विकास/पुनर्वास मॉडल भी शामिल होंगे।

5.1.3 स्लम मुक्त नगर योजना की विषय–वस्तु में निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे :

- स्लमों के अधीन क्षेत्रों का चित्रण तथा पहचान की गई खाली भूमि और भूमि सहित प्रस्तावित पुनर्स्थापन क्षेत्र एवं स्लम वासियों को बसाने के लिये उनकी उपयुक्तता;
- स्लमों का स्पेटियल, जनसांख्यिकीय और सामाजिक–आर्थिक प्रोफाइल;
- स्लम क्षेत्रों तथा प्रस्तावित पुनर्स्थापन क्षेत्रों और खाली पड़ी भूमि का भू–स्वामित्व (पुनर्वास से पहले और पुनर्वास के बाद);
- स्लम क्षेत्रों (पंजीकरण/राजस्व विभाग से प्राप्त क्षेत्र में भूमि मूल्य पर आधारित) तथा प्रस्तावित पुनर्स्थापन क्षेत्रों का भूमि मूल्य;
- भू–उपयोग, स्लम क्षेत्रों का एफएसआई और अन्य ब्यौरा तथा प्रस्तावित पुनर्स्थापन क्षेत्र (स्लम पुनर्विकास अथवा पुनर्स्थापन को सुविधाजनक बनाने के लिये विकास नियंत्रण विनियमों में प्रस्तावित किसी परिवर्तन सहित);
- स्लमों के भीतर तथा आसपास के क्षेत्र में वास्तविक अवसंरचना और प्रस्तावित पुनर्स्थापन क्षेत्र जिसमें कनेक्टिविटी अवसंरचना, सड़क नेटवर्क (स्लम क्षेत्र के भीतर और उसके आसपास), अन्य परिवहन नेटवर्क (मौजूदा स्लम पॉकेटों तथा प्रस्तावित पुनर्स्थापन पॉकेटों के क्षेत्र में), जलापूर्ति, सीवर व्यवस्था, ड्रेनेज व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था तथा संचार व्यवस्था और अन्य भौतिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं;
- स्लम पॉकेटों तथा प्रस्तावित पुनर्स्थापन स्थलों में और उनके आसपास सामाजिक अवसंरचना सुविधाएं (शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, सामुदायिक हाल, आजीविका केन्द्र, अनौपचारिक क्षेत्र बाजार आदि);

- आश्रय– जीवनकाल के संबंध में मौजूदा स्थिति, ढांचों की हालत और ऊंचाई तथा पुनः परिभाषित भूखण्ड सीमाओं सहित प्रस्तावित परिवर्तन;
- टेन्योर की स्थिति– भू–स्वामियों और काबिजों अथवा अन्य सम्बद्ध पक्षों के बीच मौजूदा टेन्योर व्यवस्था का विश्लेषण; सम्पत्ति के अधिकारों को देने सहित प्रस्तावित टेन्योर व्यवस्था;
- अवसंरचना और/अथवा आवास निर्माण के लिये विकास मॉडल का चयन– सरकारी–निजी भागीदारी, लाभकारी दृष्टि से निर्माण, समुदाय आधारित, सार्वजनिक एजेंसी आदि;
- संसाधन जुटाने संबंधी कार्यनीति;
- कार्यान्वयन कार्यनीति जिसमें चरणबद्ध कार्यक्रम और मॉनीटरिंग तथा सामुदायिक समर्थन समर्थन जुटाना शामिल है;
- स्लमों की भावी वृद्धि को रोकने के लिए उपाय– सभी भावी आवास कालोनियों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिये भूमि का आरक्षण, भागीदारी आधार पर किफायती मकानों का निर्माण, स्लम मुक्त नगर नीति अपनाना, क्षेत्रीय तथा शहरी आयोजन को समावेशी बनाने के लिये उनसे संबंधित मुद्दों को हल करना, आदि;
- जन सहभागिता तथा संबंधित पक्षों से परामर्श करना और विवादों को हल करने के लिये तंत्रों की स्थापना करना; और
- स्लम मुक्त नगर योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सांस्थानिक संरचना– मुख्य संस्थाओं का विकास तथा क्षमता निर्माण।

5.2 मास्टर प्लान/सीडीपी की समीक्षा/संशोधन

स्लम मुक्त कार्य योजना के आधार पर नगर की विकास योजना/मास्टर प्लान/सीडीपी की यथावश्यक समीक्षा की जाएगी/उसमें संशोधन किये जाएंगे ताकि स्लम पुनर्विकास/पुनर्वास योजनाओं को कार्यरूप दिया जा सके।

5.1 क्षमता निर्माण योजना

क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण स्लम मुक्त नगर योजना को तैयार करने और उसका कार्यान्वयन करने के लिये महत्वपूर्ण घटक हैं। इनमें संस्थागत और मानव संसाधन क्षमता संबंधी आवश्यकताओं को शामिल किया जाना चाहिए। स्लम मुक्त नगर योजना में विशेष रूप से क्षमता निर्माण योजना शामिल की जाएगी। जिसकी सहायता बेहतर शहरी शासन और गरीबी उपशमन के लिये व्यापक क्षमता निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिये निर्मित टूल किट के अधीन दिये गये दिशानिर्देशों और अनुमोदित मानकों का अनुसरण करते हुए स्कीम के अधीन केन्द्र द्वारा की जाएगी।

टिप्पणी : विस्तृत तकनीकी दिशानिर्देश और मैनुअल राष्ट्रीय तकनीकी समिति द्वारा तैयार करके राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को भेजे जाएंगे ताकि स्लम मुक्त नगर योजनाओं का निर्माण सुविधाजनक बन सके।

अनुबंध V

स्लम मुक्त नगर योजना
राष्ट्रीय संचालन समिति की संरचना

1.	सचिव, आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	अध्यक्ष, इसरो एवं सचिव, अंतरिक्ष विभाग	सह–अध्यक्ष
3.	प्रधान सचिव, एमए, आंध्र प्रदेश शासन	सदस्य
4.	प्रधान सचिव, शहरी विकास, गुजरात शासन	सदस्य
5.	प्रधान सचिव, आवास, महाराष्ट्र शासन	सदस्य
6.	गुवाहाटी विकास के प्रभारी सचिव, असम	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव तथा वित्त सलाहकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य
8.	सीईपीटी, अहमदाबाद का प्रतिनिधि	सदस्य
9.	एसपीए, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
10.	निदेशक, एनआरएससी/इसरो, हैदराबाद	सदस्य
11.	प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	सदस्य
12.	प्रधान आयुक्त, योजना, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य
13.	निदेशक, नगर नियोजन और मूल्यांकन विभाग, महाराष्ट्र शासन	सदस्य
14.	निदेशक, नगर तथा ग्रामीण विकास, गुजरात शासन	सदस्य
15.	महानिदेशक, उत्तम शासन केन्द्र, हैदराबाद	सदस्य
16.	मुख्य नियोजक, टीसीपीओ, नई दिल्ली	सदस्य
17.	मिशन निदेशक तथा अपर सचिव (जेएनएनयूआरएम), आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य–संयोजक

अनुबंध VI

स्लम मुक्त नगर योजना तैयार करने हेतु गठित तकनीकी समिति की संरचना

क.सं.	नाम	
1.	मिशन निदेशक/अपर सचिव/ संयुक्त सचिव (जेएनएनयूआरएम/आरएवाई), आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
2.	श्री एम.एन. विद्याशंकर, प्रधान सचिव, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग, कर्नाटक शासन	सदस्य
3.	डा0 राजीव शर्मा, महानिदेशक, सीजीजी, हैदराबाद	सदस्य
4.	डा0 वी. जयरमन, निदेशक, एनआरएससी/इसरो, हैदराबाद	सदस्य
5.	डा0 वी.एस. हेगड़े, निदेशक, ईओएस, इसरो, बंगलौर	सदस्य
6.	डा0 पी.जी. दिवाकर, एसोशिएट निदेशक, ईओएस, इसरो, बगलौर	सदस्य
7.	डा0 पी.एस. रॉय, उप–निदेशक, आरएस तथा जीआईएस– एए, एनआरएससी/इसरो, हैदराबाद	सदस्य
8.	डा0 वी. राघवस्वामी, ग्रुप निदेशक, एनआरएससी/इसरो, हैदराबाद	सदस्य
9.	डा0 वाई.वी.एन. कृष्णमूर्ति, उप–निदेशक, आरआरएससी, एनआरएससी/इसरो, हैदराबाद	सदस्य
10.	डा0 एस.के. पठान, अध्यक्ष, जीआईडीडी, एसएसी/इसरो, अहमदाबाद	सदस्य
11.	डा0 टी.पी. सिंह, निदेशक, बीआईएसएजी, अहमदाबाद	सदस्य
12.	श्री पुरूषोत्तम रेड्डी, निदेशक, नगर तथा ग्राम नियोजन विभाग, आंध्र प्रदेश शासन	सदस्य
13.	मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन तथा मूल्यांकन विभाग, गुजरात शासन	सदस्य
14.	निदेशक, नगर नियोजन तथा मूल्यांकन विभाग निदेशालय, महाराष्ट्र शासन	सदस्य
15.	डा0 के. मृत्युंजय रेड्डी, निदेशक, एपीएसआरएससी, हैदराबाद	सदस्य
16.	डा0 विनोद बोथुले, निदेशक, एमआरएसएसी, नागपुर	सदस्य
17.	श्री जे.बी. क्षीरसागर, मुख्य नियोजक, टीसीपीओ	सदस्य
18.	निदेशक (जेएनएनयूआरएम), आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य
19.	निदेशक (एनबीओ) तथा ओएसडी (जेएनएनयूआरएम/आरएवाई), आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य–संयोजक

टिप्पणी : उपर्युक्त समिति की सलाह पर यदि आवश्यक हुआ तो कोई अन्य सदस्य (उसकी विशेषज्ञता के आधार पर) सहयोजित अथवा तकनीकी समिति में आमंत्रित किया जा सकता है।

अनुबंध VII

भागीदारी आधार पर किफायती मकानों सहित स्लम पुनर्विकास/पुनर्वास मॉडल

निम्नलिखित मॉडल निदर्शी स्वरूप के हैं और विस्तृत नहीं हैं

मॉडल	मॉडल विवरण	केन्द्र सरकार द्वारा सहायता	राज्य/शहरी स्थानीय निकाय सहायता	निजी डेवलेपर की भूमिका	लाभग्राही व्यक्तियों द्वारा अंशदान/ऋण
स्लम– स्वस्थानी पुनर्विकास					
I	उच्च कीमत वाली भूमि– आवास तथा संरचना दोनों के लिये पीपीपी मॉडल		भूमि उपलब्धता; जोनिंग/एफएसआई प्रोत्साहन जिनमें टीडीआर शामिल है	मुक्त (स्वामित्व/किराया) मकानों की बिड आधारित संख्या	केवल आवास की लागत में अंशदान
II	मध्यम कीमत वाली भूमि– आवास तथा अवसंरचना के लिये पीपीपी मॉडल	व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण का अंश	भूमि उपलब्धता; जोनिंग/एफएसआई प्रोत्साहन जिनमें टीडीआर शामिल है; व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण का अंश	आवेदित वीजीएफ सहायता की सीमा पर आधारित बिड	केवल आवास की लागत में अंशदान
III	निम्न कीमत वाली भूमि– स्लम वासियों का सहयोग	अवसंरचना तथा आवास सब्सिडी में अंश और आवास ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी	भूमि उपलब्धता; जोनिंग/एफएसआई प्रोत्साहन जिनमें टीडीआर शामिल है; अवसंरचना और/अथवा आवास पूंजी सब्सिडी में अंश	लाभग्राही के सहयोग से तथा राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय के पर्यवेक्षण के साथ निर्माण	इक्विटी अंश जमा रियायती आवास ऋण
IV	निम्न कीमत वाली भूमि– सरकारी एजेंसियां	अवसंरचना तथा आवास सब्सिडी में अंश और आवास ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी	भूमि उपलब्धता; जोनिंग/एफएसआई प्रोत्साहन जिनमें टीडीआर शामिल है; अवसंरचना और/अथवा आवास सब्सिडी में अंश		इक्विटी अंश जमा रियायती आवास ऋण
V	केवल अवसंरचना प्रावधान– लाभग्राही नीत आवास	अवसंरचना लागत में अंश, आवास ऋण के लिये 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी	ऋण उपलब्धता, अवसंरचना तथा आवास सब्सिडी का अंश	राज्य/शहरी स्थानीय निकाय के तकनीकी पर्यवेक्षण के अधीन व्यक्तिगत निर्माण	इंक्रिमेंटल आवास/नये आवास के लिये रियायती ऋण

मॉडल	मॉडल विवरण	केन्द्र सरकार द्वारा सहायता	राज्य/शहरी स्थानीय निकाय सहायता	निजी डेवलेपर की भूमिका	लाभग्राही व्यक्तियों द्वारा अंशदान/ऋण
स्लम – पुनर्स्थापन					
VI	उच्च प्रीमियम क्षेत्र – सरकारी भूमि पर आवास तथा अवसंरचना के लिये पीपीपी मॉडल		भूमि उपलब्धता; जोनिंग/एफएसआई प्रोत्साहन जिनमें टीडीआर/मुक्त बिक्री घटक शामिल है	बिड आधारित मुक्त मकानों की संख्या	केवल आवास के लिये अंशदान
VII	मध्यम प्रीमियम क्षेत्र– सरकारी भूमि पर वीजीएफ सहित पीपीपी मॉडल	व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण में अंश, पूंजीगत सब्सिडी और/अथवा 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी	भूमि उपलब्धता, जोनिंग/एफएसआई प्रोत्साहन जिनमें टीडीआर शामिल है, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण में अंश	आवेदित वीजीएफ की सीमा पर बिड आधारित	इक्विटी अंशदान और/अथवा रियायती आवास ऋण
VIII	निजी भूमि पर पुनः स्थापन	व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण में अंश तथा आवास ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी	जोनिंग/एफएसआई प्रोत्साहन जिनमें टीडीआर शामिल है, व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण में अंश		इक्विटी अंशदान तथा पूंजी एवं ब्याज सब्सिडी सहित रियायती आवास
IX	सरकारी भूमि पर पुनः स्थापन– सरकारी एजेंसियों के जरिये परम्परागत मॉडल	अवसंरचना लागतों में अंशदान, पूंजी सब्सिडी तथा आवास ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी	भूमि उपलब्धता, जोनिंग/एफएसआई प्रोत्साहन, अवसंरचना लागत में अंश		इक्विटी अंशदान, रियायती आवास ऋण
शहरी गरीबों के लिये रियायती आवास					
X	सरकारी–निजी भागीदारी में निर्मित रियायती आवास	अवसंरचना लागत में प्रति रियायती आवास पर 50,000 रू. की दर से अंश, आवास ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी	भूमि उपलब्धता, जोनिंग/एफएसआई प्रोत्साहन जिनमें टीडीआर शामिल है, जहां आवश्यक हो बाह्य विकास		इक्विटी अंशदान, 5 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के साथ रियायती आवास

राजीव आवास योजनाः
स्लममुक्त नगर आयोजना के आधीन नगर स्तरीय कार्याकलापों के लिए वित्तीय आवश्यकताएं और सहायता के संबंध में प्रपत्र का नमूना

राज्य का नाम नगर/शहरी बस्ती का नाम

क्रम सं.	तैयारी कार्यकलाप मद (केवल संकेतात्मक, सीएसएमसी/आवास मंत्रालय द्वारा संशोधन के अधीन)	लागत के प्राक्कलन के मानदंड	अपेक्षित प्राक्कलित रकम (लाख रूपये)	समय सीमा (मास जब कार्य प्रारंभ और समाप्त होगा)
1.	**नगर में स्लम एमआईएस के लिए स्लम सर्वेक्षण (तथा तत्संबंधी क्षमता निर्माण कार्यकलाप)**			
1.1	आर्थिक–सामाजिक सर्वेक्षण (फार्मों के मुद्रण, प्रचार आदि सहित)	नगर तथा उसके आस–पास के क्षेत्रों में सभी स्लम पॉकेटों में स्लम आबादी/परिवारों की संख्या के प्राक्कलन पर आधारित		
1.2	सभी स्लम परिवारों की बायो–मेट्रिक पहचान से संबंधित प्राकलित लागत (बायो–मेट्रिक सूचना प्राप्त करने और उसे स्टोर करने के लिए हार्डवेयर तथा प्रशिक्षण की लागत सहित लेकिन बायो–मेट्रिक कार्ड जारी करने की लागत शामिल नहीं है)	नगर तथा उसके आस–पास के क्षेत्रों में सभी स्लम पॉकेटों में स्लम आबादी/परिवारों की संख्या के प्राक्कलन पर आधारित		
1.3	प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, स्लम स्वयंसेवकों, सर्वेक्षण के दौरान एनजीओ द्वारा सामुदायिक समर्थन जुटाने के लिए प्रशिक्षण के आयोजन आदि की लागत	प्रशिक्षकों की संख्या तथा प्रशिक्षित किये जाने वाले स्लम स्तरीय स्वयंसेवकों की संख्या और प्रस्तावित सामुदायिक जागरूकता /समर्थन जुटाने संबंधी कार्यकलापों/आयोजनों पर आधारित		
2.	**वेब सक्षम स्लम एमआईएस प्रणाली का विकास**			
2.1	स्लम सर्वेक्षणों से प्राप्त डाटा की प्रविष्टि, जोन स्तर पर डाटा की जांच और संकलन एवं मिलान (जिसमें शामिल है – डाटा प्रविष्टि तथा डाटा मिलान की लागत, जोन स्तर पर कार्मिकों का प्रशिक्षण, ऐसी प्रविष्टि के लिए हार्डवेयर एवं स्लमवार जोन स्तर पर एवं जोनवार डाटाबेस के स्टोरेज की लागत) मिलान ऐसा होना चाहिए ताकि वेब सक्षम नगर स्तरीय डाटाबेस तथा नगर स्तरीय तकनीकी सेल के लिए आधार रिर्पोटे बनाई जा सके ।	प्रत्येक जोन में समस्त स्लम परिवारों पर आधारित लागत प्राक्कलन		

क्रम सं.	तैयारी कार्यकलाप मद (केवल संकेतात्मक, सीएसएमसी/आवास मंत्रालय द्वारा संशोधन के अधीन)	लागत के प्राक्कलन के मानदंड	अपेक्षित प्राक्कलित रकम (लाख रूपये)	समय सीमा (मास जब कार्य प्रारंभ और समाप्त होगा)
3	**कारटोसेट I / कारटोसेट II / अद्यतन इमेजों के साथ जीआईएस का उपयोग करते हुए नगर बुनियादी मेप तथा स्लम मेप तैयार करना**			
3.1	इसरो/एनआरएससी से प्राप्त की जाने वाली सैटेलाईट(कारटोसेट I / कारटोसेट II) इमेजों की लागत	जिस शहरी बस्ती का मेप बनाया जाना है उसके आधार पर तथा प्राप्त किये जाने वाले सम्बद्व इमेजों की संख्या के आधार पर प्राक्कलन		
3.2	विभिन्न आकृतियों का डीजिटीकरण करने के बाद संपूर्ण शहरी बस्ती का जियो–रेफ्रेंस्ड़ बुनियादी मेप (जो जीआईएस प्लेटफार्म में शामिल किया जा सके) तैयार करना (एनआरएससी/इसरो की तकनीकी भागीदार एजेंसियों की नियुक्ति की लागत सहित)	क्षेत्र जिसका मेप बनाया जाना है तथा जियो–रेफ्रेंस्ड़ और डीजिटीकरण किये जाने वाली सम्बद्वआकृतियों के आधार पर प्राक्कलन		
3.3	नगर में पहचान किये गये सभी स्लम पॉकेटों और खाली भूमि के संबंध में संपर्ण स्टेशन सर्वेक्षण तथा प्लेन टेबल सर्वेक्षण करना और जियो–रेफ्रेंस्ड़ डिजीटाइज्ड़ मेप तैयार करना (भूमि के अधिकार के आधार पर स्लम पॉकेट में और उसके आस–पास तथा भू–खंड चार दीवारी की बुनियादी अवसंरचना की मेपिंग सहित) इसमें शामिल है – तकनीकी एजेंसियों की नियुक्ति की लागत, स्लम स्पेटियल सर्वेक्षण को निर्देश देने वाले यूएलबी सर्वेक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण, समुदाय समर्थन जुटाने संबंधी कार्यकलाप अथवा स्पेटियल सर्वेक्षणों को सुविधाजनक बनाने के लिए एनजीओ का सहयोग, आदि	पहचान किये गये सभी स्लम पॉकेटों और खाली भूमि के संचयी क्षेत्र पर आधारित प्राक्कलन (स्लम आबादी की सधनता को देखते हुए अधिक घनी आबादी वाले स्लम जहॉ बहु प्रकार की सर्वेक्षण तकनीके उपयोग में लानी होगी)		
3.4	जीआईएस सक्षम स्लम एमआईएस बनाने के लिए उक्त जियो–रेफ्रेंस्ड मेपों/स्पेटियल डाटा को जीआईएस प्लेटफार्म में शामिल करना तथा उसे सामाजिक–आर्थिक डाटाबेस/स्लम एमआईएस में मिलाना (इसमें शामिल है– तकनीकी एजेंसी (एजेंसियों) की नियुक्ति की लागत, यूएलबी कार्मिकों के प्रशिक्षण की लागत, स्पेटियल डाटा के स्टोरेज हेतु हार्डवेयर की लागत, मेपों के मुद्रण हेतु लार्ज फार्मेट प्रिंटर/प्लोटर की लागत, आदि ।	स्लम परिवारों की संख्या तथा सर्वेक्षित/मेप्ड़ स्लम पॉकेटों तथा खाली भूमि के संचयी क्षेत्र पर आधारित		

क्रम सं.	तैयारी कार्यकलाप मद (केवल संकेतात्मक, सीएसएमसी/आवास मंत्रालय द्वारा संशोधन के अधीन)	लागत के प्राक्कलन के मानदंड	अपेक्षित प्राक्कलित रकम (लाख रूपये)	समय सीमा (मास जब कार्य प्रारंभ और समाप्त होगा)
4.	**स्लम पुनर्विकास/पुनर्वास योजनाओं, जोनल योजनाओं तथा नगर स्तरीय स्लममुक्त कार्ययोजनाओं को तैयार करना**			
4.1	स्लम पुनर्विकास/पुनर्वास योजनाओं को तैयार करने के लिए स्लम स्तरीय विचार–विमर्श को शुरू करने के लिए नगर स्तरीय स्पेटियल तथा सामाजिक–आर्थिक रिर्पोटें तैयार करने के उद्देश्य से स्पेटियल तथा सामाजिक आर्थिक डाटा का विश्लेषण करना । यह कार्य ख्यात परामर्शदाताओं द्वारा प्रमुख एनजीओ के सहयोग से किया जाएगा – इन सभी का चयन पारदर्शी ढ़ंग से किया जाएगा ।	कुल स्लम आबादी और प्रत्येक स्लम, जोन अथवा नगर के लिए सृजित की जाने वाली थेमेटिक लेयरों की संख्या पर आधारित		
4.2	विभिन्न संबंधित पक्षों को सुचना देने तथा उनके साथ विचार–विमर्श करने संबंधी कार्यकलाप (स्लम समुदाय सहित) यह कार्य एनजीओ/सीबीओ की सहायता से किया जाएगा ताकि वे मार्गदर्शन कर सकें और प्रत्येक स्लम/जोन में स्लम पुनर्वास/पुनर्विकास के लिए समुदाय समर्थन जुटाने का कार्य कर सकें ।	स्लम परिवारों और स्लम आबादी संघनताओं के आधार पर सहायता प्राप्त कार्यों और स्लम ग्रुपों की संख्या के संबंध में लागत का प्राक्कलन		
4.3	स्लम स्तरीय स्पेटियल रीकनफीगरेशन, सामाजिक –आर्थिक योजनाओं, परियोजना स्तरीय विवरणों, आदि सहित स्लममुक्त नगर योजनाएं बनाने के लिए विस्तृत कार्य । ये कार्य ख्यात परामर्शदाताओं द्वारा ख्यात एनजीओ के सहयोग से किये जाएगे और दोनों का चयन पारदर्शी ढ़ंग से किया जाएगा ।	प्रत्येक जोन तथा /अथवा नगर के लिए कुल स्लम आबादी और स्लम योजनाओं की संख्या तथा कुल क्षेत्र पर आधारित		
5.	स्लम एमआईएस/जीआईएस, स्लम मेपिंग, स्लम विकास/स्लममुक्त नगर/स्लममुक्त राज्य आयोजना, परियोजना प्रबंधन, निर्धन हितेषी सुधार आदि के संबंध में आवश्यक किसी अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत लागत । यह कार्य राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों और राष्ट्रीय संसाधन नेटवर्क केंद्रों के सहयोग से किया जाएगा ।	प्रशिक्षण दिवसों की संख्या तथा सहभागियों की संख्या और तकनीकी कार्मिकों/ प्रशिक्षकों की संख्या के आधार पर लागत का प्राक्कलन		

क्रम सं.	तैयारी कार्यकलाप मद (केवल संकेतात्मक, सीएसएमसी/आवास मंत्रालय द्वारा संशोधन के अधीन)	लागत के प्राक्कलन के मानदंड	अपेक्षित प्राक्कलित रकम (लाख रूपये)	समय सीमा (मास जब कार्य प्रारंभ और समाप्त होगा)
6.	प्रशासनिक तथा कार्यालय व्यय जिसमें शामिल है– उर्पयुक्त कार्यकलापों के मार्गदर्शन हेतु नगर स्तर पर कर्मचारियों सहित तकनीकी सेल की स्थापना (उपर्युक्त लागतों के पांच प्रतिशत संचयी से अधिक न हों)			
	जोड़			

नगर पालिका आयुक्त के मोहर सहित हस्ताक्षर

प्रभारी राज्य सचिव के मोहर सहित हस्ताक्षर

अतिरिक्त सचिव तथा मिशन निदेशक (जेएनएनयूआरएम)
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
116–जी विंग, एनबीओ भवन, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108
दूरभाष : +91-11-23061419, फैक्स :+91-11-23061420
ई–मेल : js-jnnurm@nic.in

निदेशक (एनबीओ) तथा विशेष कार्य अधिकारी (जेएनएनयूआरएम)
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
210–जी विंग, एनबीओ भवन, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108
दूरभाष :+91-11-23061692, फैक्स :+91-11-23061542
ई–मेल : dnbo-mhupa@nic.in